राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ0ग0)

श्री बी.एल. मीना, माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10–07–2013 से 17–07–2013 तक छ0ग0 राज्य के विभिन्न जिलों में किये गये दौरे का कार्यवृत्त।

श्री बी.एल. मीना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली नेतृत्व में आयोग के दल ने दिनांक 10–07–2013 से 17–07–2013 तक छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों का दौरा किया। आयोग के दल में माननीय सदस्य के साथ श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल एवं श्री पी.के. दास वरिष्ठ अन्वेषक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर भी शामिल थे। प्रवास के दौरान सर्वप्रथम आयोग के दल ने दिनांक 17–05–2013 को ग्राम एड़समेटा, थाना गंगालूर जिला बीजापुर (छ0ग0) में नक्सलियों के नाम पर कथित रूप से निर्दोष आदिवासियों को पुलिस एवं सी.आर.पी.एफ. के जवानों द्वारा मारने के संबंध में श्री पी.एन तिवारी ओ.एस.डी. एवं भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक, छ0ग0 शासन से सर्किट हाउस, रायपुर में विस्तृत चर्चा की। तत्पश्चात आयोग के दल ने राज्य के सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, एवं बिलासपुर जिलों में प्रवास किया। प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सरल कमांक 32 पर नगेसिया, नगासिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में किसान समुदाय को जोड़ने एवं इसी सूची के सरल कमांक 5 पर भारिया, भूमिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के यप में भूईया, भूईयां, भूयां समुदायों को जोड़ने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण किया। इस कम में उपरोक्त समुदायों के व्यक्तियों/सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञ से मिलकर उक्त समुदायों के आदिवासी होने के दावे के संबंध में भारत सरकार को आयोग का अभिमत देने हेतु जांच एवं चर्चा की गई। प्रवास के दौरान अन्य जातियो/समुदायों के व्यक्तियों एवं प्रतिनिधियो ने आयोग के दल से मिलकर उनकी जातियों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु अपना दावा प्रस्तुत करने के साथ–साथ अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। आयोग के दल का उक्त अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवास का संक्षिप्त कार्यवृत्त निम्नानुसार है :

ग्राम एड़समेटा, थाना गंगालूर जिला बीजापुर (छ0ग0) में दिनांक 17–05–2013 को हुई घटना में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के नाम पर पुलिस एवं सी.आर.पी.एफ. के जवानों द्वारा कथित रूप से निर्दोष आदिवासियों को मारने संबंधी आरोपों के संबंध में चर्चा

दिनांक 10–07–2013 को प्रातः 8:20 बजे माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना, रायपुर विमानतल पर पहुंचे। तदुपरान्त रायपुर सर्किट हाउस में उन्होंने श्री पी.एन. तिवारी, ओ.एस.डी. पुलिस महानिदेशक, छ0ग0 शासन, रायपुर के साथ दिनांक 17–05–2013 को ग्राम

एडसमेटा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर (छ0ग0) में नक्सलियों के नाम पर कथित रूप से निर्दोष आदिवासियों को पुलिस एवं सी.आर.पी.एफ. के जवानों द्वारा मारने के आरोपों के संबंध में चर्चा की। **चर्चा के दौरान श्री तिवारी ने आयोग को निम्नलिखित जानकारी दी :**

पीड़िया क्षेत्र, थाना गंगालूर नक्सलियों का गढ़ है, जहां भारी संख्या में सशस्त्र नक्सली अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों के साथ क्षेत्र पर प्रभार बनाने लिये उपस्थित रहते हैं तथा विभिन्न घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों पीड़िया क्षेत्र में पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के साथ मुठभेड में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई। पीड़िया क्षेत्र की सर्चिंग के दौरान इस विशेष अभियान के लिये केरिपु तथा जिला पुलिस बल के अधिकारियों के द्वारा समुचित ब्रीफिंग देते हुये यह निर्देश दिए गए कि गांव छोड़ते हुए जंगल के रास्ते से जायें ताकि सुरक्षाबलों के मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों को न मिल पाए इस हेतु जी.पी.एस के साथ रूट चार्ट भी दिये गये ताकि इसमें किसी तरह की चूक न हो। दिनांक 17.05.2013 को 16:00 बजे **हमराह** स्टॉफ 208 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमाण्डेट हरिओम सागर के नेतृत्व में कोबरा 208 के 46 नफर, कोबरा 204 के 49 नफर एवं जिला बल के 57 नफर कुल 152 नफरी के साथ ग्राम पीडिया रवाना हुए। लगभग 22:30 बजे ग्राम एड़समेटा के जंगल में एक ओर आग जलती देखी गई जिसकी रोशनी में कुछ व्यक्ति दिखाई दिए जिनमें से कई सशस्त्र थे। नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, पुलिस पार्टी को भी आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। कोबरा के एक जवान देवप्रकाश को नक्सलियों की एक गोली उसके सिर पर लगी और वह घायल होकर गिर पडे। चूंकि जवान गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसके चिकित्सा उपचार एवं सुरक्षा की दृष्टि से वापस गंगालूर आ रहे थे तो घायल जवान की मृत्यु हो गई। घटना का प्रार्थी उप निरीक्षक सखाराम मण्डावी थाना गंगालूर की रिपोर्ट पर दिनांक 18.05.2013 को 7:00 बजे अपराध क0 14/2013 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120–बी भादवि. 25,27 आ.ए. कायम किया गया। घटना में और भी व्यक्ति घायल होने की सूचना दिनांक 18.05.2013 को सुबह 9:00 बजे मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा एक अन्य पुलिस पार्टी को सर्चिंग हेतु भेजा गया। जिला बल एवं केरिपु का संयुक्त बल दोपहर 2:00 बजे ग्राम एड़समेटा पहुंचा तथा घायल व्यक्तियों के बारे में पता करने पर उन्हें 07 व्यक्तियों की मृत्यु होने एवं 04 व्यक्ति घायल होना बताया गया। दिनांक 19.05.2013 को सुरक्षा कारणों से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा शवों के पंचनामा की कार्यवाही गंगालुर में की गई। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। लगभग 4:00 बजे शाम को शवों को परिजनों के साथ ग्राम तक भेजने की व्यवस्था की गई।

उक्त घटना की दण्डाधिकारी जांच संस्थित कर जिला दण्डाधिकारी जिला बीजापुर के आदेश दिनांक 18.05.2013 द्वारा श्री बीरेन्द्र पंचभोई, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक, छ0ग0 के आदेश दिनांक 29.05.2013 के माध्यम से स्पेशन इन्वेस्टीगेशन दल (एसआईटी) का गठन किया गया। घटना की स्वतंत्र एवं सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जांच हेतु **छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की**

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

सूचना दिनांक 19.05.2013 के तहत् प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु मान. न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छ0ग0 उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है।

घटना के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का विवरण

एड्समेटा के जंगल में नक्सलियों के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा स्थानीय पुलिस की संयुक्त पार्टी की कथित मुठभेड़ में दो जवानों के घायल के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 20.05.2013 को समाचार प्रकाशित हुए थे। राष्ट्रीय मीडिया में भी इस समाचार को प्रमुखता दी गई थी। अगले कुछ दिनों में भी विभिन्न समाचार पत्रों में उक्त मुठभेड के फर्जी होने तथा कई नाबालिग बच्चों के मारे जाने संबंधी समाचार आते रहे। प्रकाशित समाचारों का स्वयमेव संज्ञान लेते हुए आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने घटना के संबंध में दिनांक 20.05.2013 के पत्र द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक बीजापुर, पुलिस महानिदेशक, रायपुर तथा प्रधान सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, रायपुर ने अपने पत्र दिनांक 08.07.2013 तथा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर ने अपने पत्र दिनांक 06.06.2013 द्वारा आयोग को रिपोर्ट भेजी।

जिला कलेक्टर, बीजापुर से प्राप्त रिपोर्ट :

जिला कलेक्टर, बीजापुर ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्रांतर्गत ग्राम एड्समेटा में दिनांक 17–18.05.2013 की दरम्यानी रात्रि में हुए पुलिस–नक्सली मुठभेड में कुल 08 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 04 घायल हुए हैं जो निम्नानुसार हैं

मृतकों के नाम

क.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	निवासी
1	कारम बदरू	कारम जोगा	13 वर्ष	मुरिया	एड्समेटा
2	कारम सोमलू	कारम पाण्डू	30 वर्ष	मुरिया	एडसमेटा
3	पूनेम लक्कू	पूनेम लक्खू	15 वर्ष	मुरिया	एड्समेटा
4	कारम गुड्डू	कारम पाण्डू	14 वर्ष	मुरिया	एडसमेटा
5	कारम पाण्डू	कारम हूंगा	40 वर्ष	मुरिया	एडसमेटा
6	कारम जोगा	कारम आयतू	40 वर्ष	मुरिया	एडसमेटा
7	पूनेम सोनू	पूनेम गुट्टा	35 वर्ष	मुरिया	एडसमेटा
8	कारम मासा	लच्छू कारम	27 वर्ष	मुरिया	एडसमेटा

(BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi)

घायलों के नाम

क0	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	निवासी
1	कारम छोटू	कारम लक्खू	09 वर्ष	मुरिया	एड़समेटा
2	कारम आयतू	कारम उरा	40 वर्ष	मुरिया	एड़समेटा
3	कारम सन्नू	मासा	35 वर्ष	मुरिया	एड़समेटा
4	पूनेम सोमलू	पूनेम लक्खू	15 वर्ष	मुरिया	एड़समेटा

उपरोक्त घटना में मारे गये व्यक्तियों के संबंध में दण्डाधिकारी जांच हेतु कार्यालयीन आदेश क0/3406/दिनांक 18-05-2013 के द्वारा आदेश जारी कर क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री बी0बी0पंचभाई को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है। जिला प्रशासन द्वारा सभी 04 घायलों को 20-20 हजार रूपये प्रत्येक घायल को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दिये गये है तथा सभी मृतकों को 5-5 लाख रूपये प्रति मृतक भुगतान करने की घोषणा की गई है।

उपरोक्त घटना में मारे गये व्यक्तियों के संबंध में दण्डाधिकारी जांच हेतु कार्यालयीन आदेश क0/3406/दिनांक 18-05-2013 के द्वारा ओदश जारी कर क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री बी0बी0पंचभाई को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है। जिला प्रशासन द्वारा सभी 04 घायलों को 20-20 हजार रूपये प्रत्येक घायल को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा न्यायिक जां के आदेश दिये गये है तथा सभी मृतकों को 5-5 लाख रूपये प्रति मृतक भुगतान करने की घोषणा की गई है।

घटना के संबंध में अनुशंसाएं

इस घटना के संबंध में समग्र रूप से निम्नानुसार अनशंसाएं की जाती हैं:

1) राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 19.05.2013 के माध्यम से एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था जिसे तीन माह में जांच कर शासन को रिपोर्ट सौपनी थी। राज्य सरकार द्वारा इस आयोग को शीघ्र आवश्यक सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि आयोग अपनी जांच शीघ्र पूर्ण कर शासन को रिपोर्ट सौप सके एवं घटना के संबंध में वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।

2) पुलिस महानिदेशक, छ0ग0 के आदेश दिनांक 29.05.2013 के माध्यम से स्पेशल इन्वेस्टीगेशन दल (एसआईटी) का गठन किया गया। विशेष जांच दल के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है ताकि घटना के संबंध में वास्तविक तथ्य ज्ञात हो सकें।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

जिला कलेक्टर, बीजापुर के आदेश दिनांक 18.05.2013 द्वारा श्री बीरेन्द्र पंचभोई, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बीजापुर से इस घटना की दण्डाधिकारी जांच आदेशित की गई थी जिन्हें जांच के बिन्दुओं पर एक माह के भीतर प्रतिवेदन देना था। इस जांच को भी शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए ताकि जांच के बिन्दुओं से संबंधित वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।

4) सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं का लाभ इस ग्राम पंचायत के निवासियों तक पहुंचाया जाना आवश्यक है। विशेषकर इंदिरा आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही बच्चों की शिक्षा हेतु समुचित प्रबंध भी शीघ्र किया जाना चाहिए।

5) न्यायिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए।

छत्तीगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सरल कमांक 32 पर नगेसिया, नगासिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में "किसान" समुदाय को जोड़ने एवं इसी सूची के सरल कमांक 5 पर भारिया, भूमिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में "भूईया, भूईयां, भूयां" समुदायों को जोड़ने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली के समक्ष आदिवासी मामले के मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सरल कमांक 32 पर नगेसिया, नगासिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में "किसान" समुदाय को जोड़ने एवं इसी सूची के सरल कमांक 5 पर भारिया, भूमिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में "भूईया, भूईयां, भूयां" समुदायों को जोड़ने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आयोग के अभिमत देने हेतु प्रस्ताव भेजा। आयोग ने श्री बी.एल. मीना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को छत्तीसगढ राज्य के सरगुजा,बलरामपुर, जशपुर,रायगढ़,बिलासपुर जिलों में उक्त समुदायों के निवास स्थलों का प्रत्यक्ष दौरा कर विभिन्न समुदायों, विषय विशेषज्ञों, जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलकर उक्त जातियों के आदिवासी होने के दावों की वास्तविकता का पता कर इस के बारे में भारत सरकार को राय देने हेतु निर्देशित किया। इस परिपेक्ष्य में श्री बी. एल. मीना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली, श्री आर.के.दुबे, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, श्री पी.के.दास वरिष्ठ अन्वेषक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर तथा छ0ग0 शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी श्री बद्रीश सुखदेवे, सचिव छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर ने दिनांक 10/07/2013 से 16/07/2013 के बीच उक्त जिलों का दौरा कर विभिन्न समुदायों, ग्रामवासियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, मानवशास्त्रियों छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न अधिकारियों से सम्पर्क कर चर्चा की जिससे कि उक्त जातियों के आदिवासी होने के दावों के बारे में भारत सरकार को अभिमत दिया जा सके। आयोग के दल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक मामलों पर केबिनेट कमेटी की बैठक दिनांक 15/06/1999 में एवं दिनांक 25/06/2002 को आयोजित बैठक में पैरा

भैरू लाल मीणा / Member
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

फ) में बदलाव के अनुसार विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने तथा सूची से हटाने के संबंध में निर्धारित प्रकिया के तहत् निर्धारित के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण किया जो निम्नानुसार है :

a) Indications of primitive traits,
b) Distinctive culture,
c) Geographical isolation,
d) Shyness of contact with the community at large, and
e) Backwardness,

उक्त मानदण्डों का आयोग के दल ने स्थलीय दौरे के दौरान दावा कर्ता समुदायों के दावों के परीक्षण हेतु प्रयोग किया। साथ–साथ छ0ग0 राज्य शासन के अनुसंधानों तथा विभिन्न लेखको/अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उक्त जातियों के संबंध में किये गये अनुसंधान एवं दिये गये मत का बारीकी से अध्ययन किया। आयोग के दल ने निदेशक, Anthropological Survey of India, भारत सरकार, कोलकाता, कार्यालय प्रमुख, Anthropological Survey of India, भारत सरकार, आंचलिक कार्यालय, जगदलपुर तथा विभाग प्रमुख, Anthropology Department, पंण्डित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर से भी उक्त जातियों के संबंध में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र संख्या 11/2/2013–आर.यू. दिनांक 4/07/2013 के माध्यम से Literature/ग्रंथों/ उपलब्ध प्रकाशनों सहित विषय पर अभिमत देने हेतु पत्र लिखा गया। आयोग के दौरे के दरमियान आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ0ग0 शासन के मानवशास्त्री से भी उक्त जातियों की वास्तविकता पर भी राय ली गई।

राष्टीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दल के छ0ग0 के विभिन्न जिलों में दौरे के पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार :

आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने दौरे के पूर्व प्रभारी, पी.आई.बी. रायपुर एवं सभी संबंधित जिले के कलेक्टरों को आयोग के दल के संबंधित जिले में प्रवास के दौरान सम्पर्क कर आयोग के दल के समक्ष किसान भूईया,भुईया, भूयां जाति के आदिवासी होने के संबंध में अपने दावे एवं आपत्ति/अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों/टी.वी. चैनलों में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु लिखा। इस कारण आयोग द्वारा विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान व्यापक जनसमूह ने दल से सम्पर्क कर अपना–अपना पक्ष रखा है। उक्त जातियों के अलवा भी आयोग के दल के समक्ष अन्य जातियों के प्रतिनिधियों ने उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु अपना दावा प्रस्तुत किया है।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

दिनांक 11/07/2013 :

दिनांक 11/07/2013 को प्रातः 9:30 बजे अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के विश्राम गृह में विभिन्न आदिवासी एवं गैर आदिवासी समुदायों के सदस्यों के साथ बैठकः

दिनांक 11/07/2013 को प्रातः 9:30 बजे अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के विश्राम गृह में विभिन्न आदिवासी एवं गैर आदिवासी समुदायों के लोगों ने नगेसिया, नागासिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में ''किसान'' समुदाय को जोडने एवं इसी सूची के सरल क्रमांक 5 पर भारिया, भूमिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में ''भूईया, भूइयां, भूयां'' समुदायों को जोड़ने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव का के पक्ष में दावों की पुष्टि करने के साथ-साथ आयोग की दल को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया।

जिला कलेक्टोरेट, अम्बिकापुर में जिला कलेक्टर, सरगुजा, अन्य अधिकारियों एवं विभिन्न अदिवासी/गैर आदिवासी समुदायों के साथ बैठकः

प्रातः 11 बजे आयोग के दल ने कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सरगुजा एवं नगेसिया, नागासिया, भूइयां, भईया एवं अन्य आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में अन्य आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाजों के जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। श्री बी.एल. मीना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बैठक में उपस्थित जिला कलेक्टर, सरगुजा एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ–साथ किसान नगेसिया भूइयां, भईया एवं अन्य आदिवासी/गैर आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों से नगेसिया, नगासिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में ''किसान'' समुदाय को जोडने एवं इसी सूची के सरल कमांक 5 पर भारिया, भूमिया जनजाति के साथ पर्यायवाची के रूप में ''भूईया, भूईयां, भूयां'' समुदायों को जोड़ने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव के संबंध में दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया।

जिला प्रशासन, सरगुजा का अभिमत

जिला कलेक्टर श्री प्रसन्ना ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि किसान एवं नागेसिया एक ही जाति है उसमें कोई सामाजिक–सांस्कृतिक भेद नहीं है। उनका 2002-03 से पूर्व नगेसिया जाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। इस बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मिलिंद विरूद्ध महाराष्ट्र शासन निर्णय पारित हुआ जिसमें उल्लेख है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित संविधान के आदेश को जैसा है वैसा ही पढ़ा जाये। उसमें किसी भी प्रकार का अर्थ लगाकर या समानार्थी मानकर न जोड़ा जाये। इस के पश्चात किसी भी जाति को उसके समानार्थी या पर्यायवाची मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। अतः किसान जाति, जो कि वास्तव में नगेसिया एवं आदिवासी समाज से है, को राज्य प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दिया गया क्योंकि राज्य कि अनुसूचित जनजातियों की सूचीं में किसान शब्द का उल्लेख नहीं है। फलस्वरूप किसान समाज आदिवासियों को मिलने वाले लाभों से वंचित हो गया। इसी क्रम से जिला कलक्टर ने जानकारी देते हुए कहां कि भूईयां, भूयां, भूइयां भी आदिवासी हैं, जिनको पूर्व में भूमिया

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member

नकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता था परन्तु 1976 के संविधान आदेश में अनुसूचित जनजाति सूची में भूमिया शब्द तीन बार आने के फलस्वरूप भूईया, भूईयां, भूयां जातियां त्रुटिवश सूची से विलुप्त हो गई। तभी से इन जातियों को जाति प्रमाण पत्र मिलना धीरे–धीरे बंद हो गया एवं आदिवासी होकर भी आदिवासियों को मिलने वाले लाभों से वंचित होना पडा। जिला कलेक्टर ने उक्त दोनों जातियों को आदिवासी सूची में शामिल करने की अनुशंसा हेतु आयोग से आग्रह किया है।

आदिवासी एवं गैर आदिवासी संगठनों का दावा एवं आपत्ति :

किसान समाज अनुसूचित जनजाति होने के संबंध में पैरवी :

बैठक में उपस्थित **श्री सी.एल नागवंशी महासचिव, नागेसिया जाति विकास समिति** ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि अविभाजित सरगुजा जिला में निवासरत नगेसिया, नगासिया जाति जिनका राजस्व अभिलेखों जाति के कॉलम में "किसान" जाति दर्ज हैं, को 2004 से पूर्व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र शासन द्वारा जारी किया जाता था। परन्तु इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नगेसिया/नागासिया वास्तविक आदिवासी होने के बावजूद भी 1950 के राजस्व अभिलेखों में जाति "किसान" दर्ज होने के कारण अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड रहा हैं।

"नगेसिया ही किसान है व किसान ही नगेसिया है" की पुष्टि हेतु अविभाजित सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर, एवं सूरजपुर) में निवासरत नगेसिया समाज के लोग (जिनका राजस्व अभिलेखों में "किसान" जाति दर्ज है) एवं पड़ोस के जिले जशपुर में निवासरत नगेसिया समाज (जिनका राजस्व अभिलेखों में भी नगेसिया जाति दर्ज है) के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

उदाहरण :– 1

किसान जाति का परिवार

जिला–बलरामपुर
विकास खण्ड – शंकरगढ़
ग्राम – रेहड़

सीठन किसान			
सुखानाथ		मोटा	
घरमी	सूपा	उसूपईक	लंवग साय

नगेसिया जाति का परिवार

जिला–जशपुर
विकास खण्ड – बगीचा
ग्राम – नन्हेसर

डेम्बा नगेसिया		
सोमरा	पहरू	बलीसाय
जगेशर	जगनी	फइरचो	तुसईन

किसान जाति के लवंग साय का विवाह जशपुर निवासी बलीसाय नगेसिया की पुत्री फइरचो से सम्पन्न हुआ है।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA

उदाहरण :– 2

किसान जाति का परिवार
जिला–बलरामपुर
विकास खण्ड–शंकरगढ़
ग्राम–चनद्रनगर

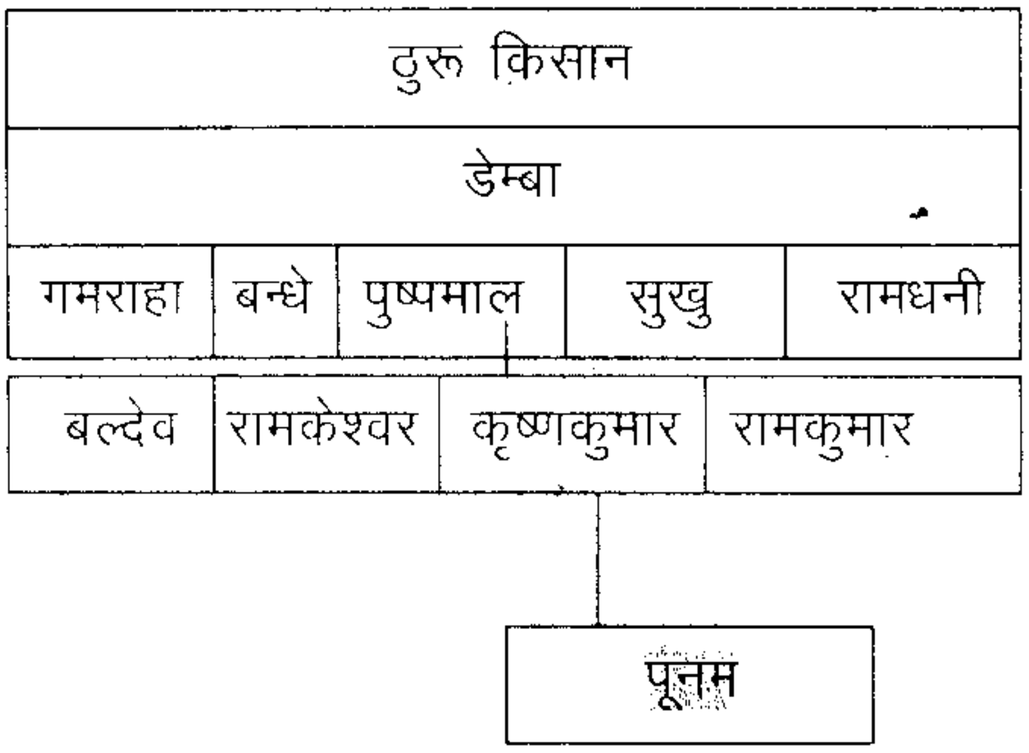

नगेसिया जति का परिवार
जिला–जशपुर
विकास खण्ड–बगीचा
ग्राम–सन्ना

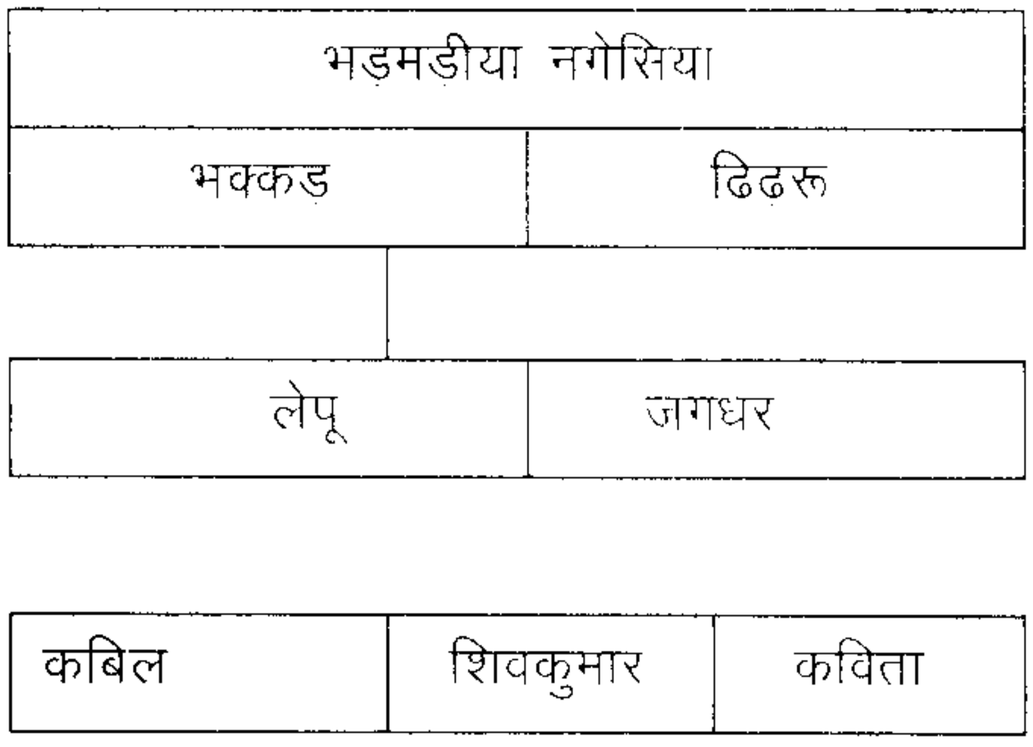

कृष्ण कुमार किसान जाति की लड़की पूनम का विवाह भड़भड़िया के वंशज कबिल पिता लेपू नगेसिया जति के साथ सामाजिक रीति–रिवाज से सम्पन्न हुआ है।

उदाहरण :– 3

किसान जाति का परिवार
जिला – बलरामपुर
विकास खण्ड – शंकरगढ़
ग्राम – रेहड़
सिठन किसान

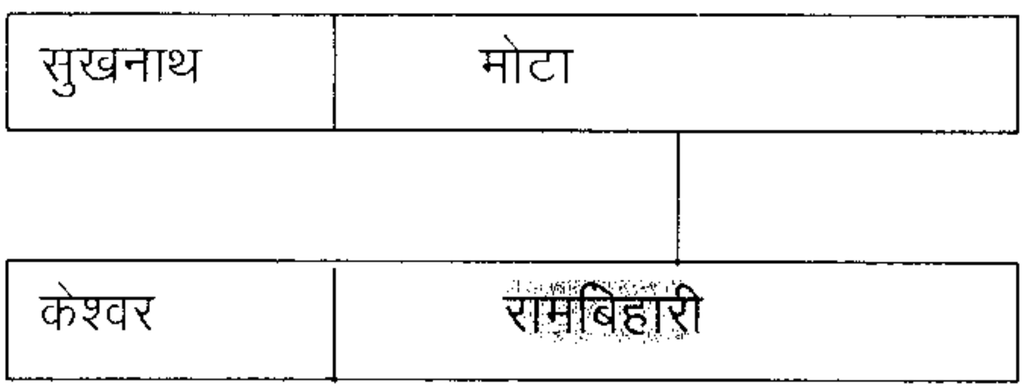

नगेसिया जाति का परिवार
जिला – जशपुर
विकास खण्ड – बगीचा
ग्राम – डूमरकोना
बोदरो वल्द साधू नगेसिया

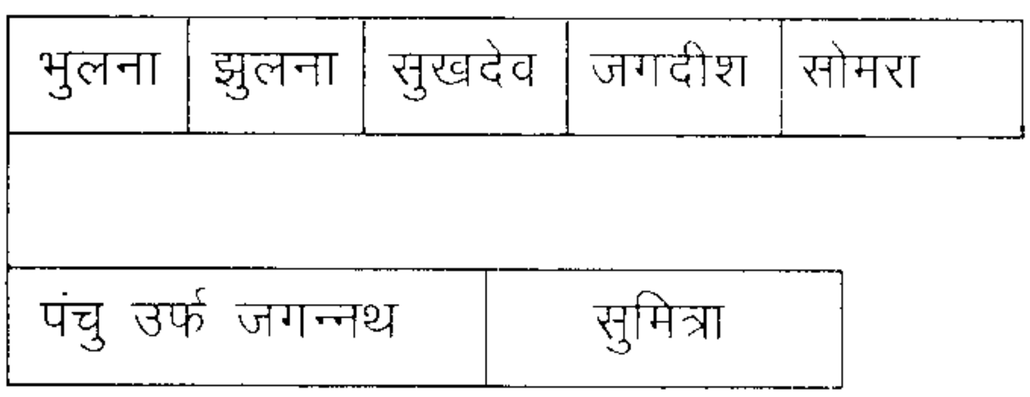

सिठन किसान के वंशज राम बिहारी का विवाह बोदरो बल्द साधू नगेसिया के वंशज भुलना की पुत्री सुमित्रा के साथ सामाजिक रीति–रिवाज के साथ हुआ है।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

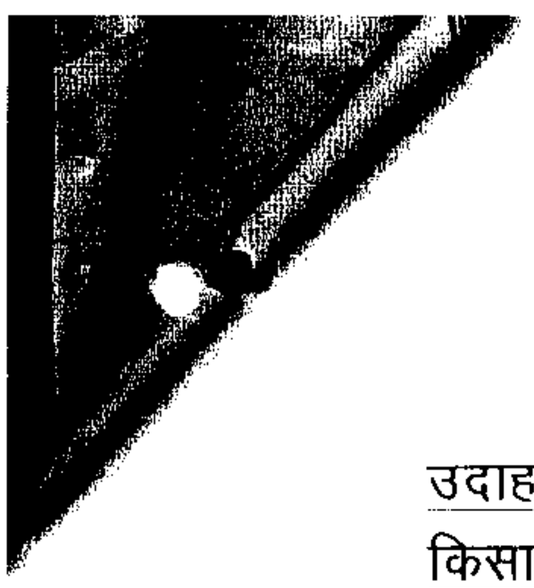

उदाहरण :– 4

किसान जाति का परिवार

जिला – बलरामपुर

विकास खण्ड – शंकरगढ़

ग्राम – रेहड़

नगेसिया जाति का परिवार

जिला – जशपुर

विकास खण्ड – बगीचा

ग्राम – फूलझर

बुटन किसान ग्राम रेहड़ा (सरगुजा) के पौत्र मनराज का विवाह कोका नगेसिया ग्राम फूलझर जशपुर निवासी की पौत्री सुखी के साथ सामाजिक रीति–रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ है।

उदाहरण :– 5

किसान जाति का परिवार

जिला – बलरामपुर

विकास खण्ड – शंकरगढ़

ग्राम – चन्द्रनगर

नगेसिया जाति का परिवार

जिला – जशपुर

विकास खण्ड – बगीचा

ग्राम – पण्डरापाठ

भम्मा किसान जति ग्राम चनद्रनगर विकास खण्ड शंकरगढ जिला सरगुजा के प्रपौत्र बिसुन का विवाह मुडल राम नगेसिया ग्राम पण्डरापाठ बगीचा (जशपुर) की प्रपौत्री गायत्री के साथ पूर्णरूप से सामाजिक रीति–रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ है।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
अनुसूचित जनजाति आयोग
Scheduled Tribes
India

उदाहरण :– 6

किसान जाति का परिवार
जिला – बलरामपुर
विकास खण्ड – शंकरगढ़
ग्राम – रहड़

नगेसिया जाति का परिवार
जिला – जशपुर
विकास खण्ड – बगीचा
ग्राम – फूलझार

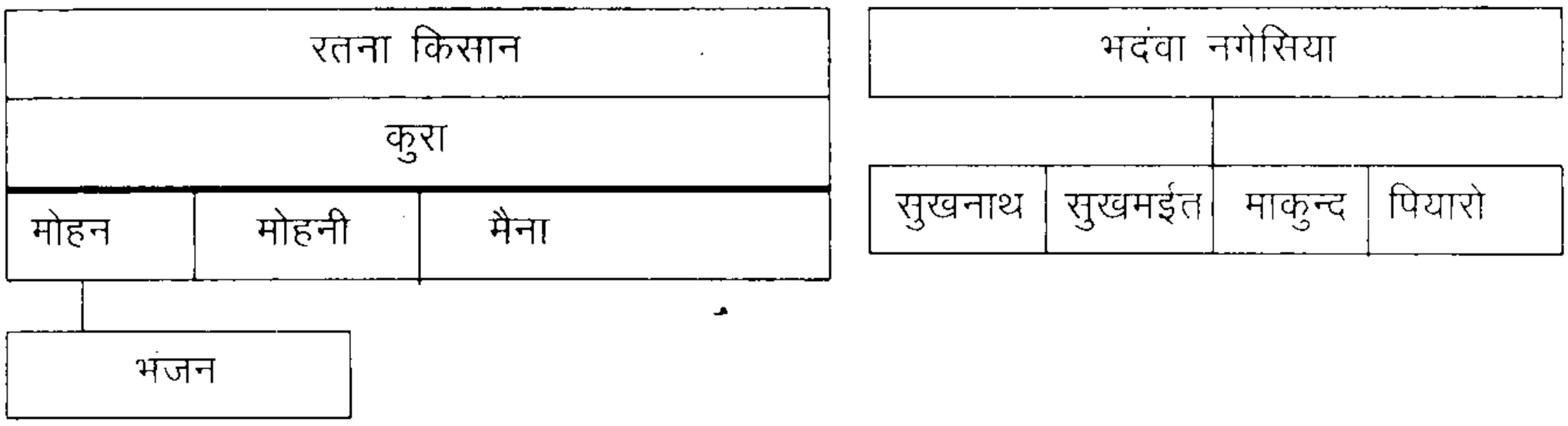

रतना किसान ग्राम रेहड़ा का प्रपौत्र भंजन का विवाह भदंवा नगेसिया ग्राम फूलझार बगीचा (जशपुर) की पौत्री पियारो के साथ सामाजिक रीति–रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ है।

बैठक के दौरान अजय अग्रवाल, कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुये कहा कि नगेसिया एवं किसान दोनो एक ही जाति हैं, दोनों में कुछ भी भिन्न नहीं है। श्री अग्रवाल आगे जानकारी देते हुये कहा कि नगेसिया जाति सरगुजा, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ एवं जशपुर जिलों में निवासरत है। पूर्व में उक्त इलाके में जबरदस्त अकाल पड़ा था, तब नगेसिया समुदाय के लोग, जो कि बहुत मेहनती थे, ने खेती–किसानी करके इलाके को अकाल से छुटकारा पिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिस के फलस्वरूप सरगुजा के तत्कालीन राजा ने नगेसिया जाति के लोगों से प्रसन्न होकर उन्हें ''किसान'' उपाधि प्रदान की थी। इस कारण यहां के लोग किसान कहलाने लगे। अनेक नगेसियों/नागासिया लोगों ने अपने शासकीय, राजस्व एवं अन्य दस्तावेजों में भी नगेसियों/नागासिया के स्थान पर किसान जाति दर्ज कराई थी। इस कारण किसान जाति, जो कि मूलतः नगेसिया/नागासिया हैं, मूलतः आदिवासी होते हुये भी 1950 के पूर्व के राजस्व/सेटेलमेंट दस्तावेजों में किसान जाति दर्ज होने के कारण शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। किसान जनजाति को अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड रहा हैं तथा इसके साथ ही इनके बच्चों को शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः इनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती जा रही है।

बैठक में उपस्थित श्री अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रतिनिधि ने भी उक्त बातों को दोहराते हुये कहा कि किसान, जो कि वास्तव में नगेसिया/नागासिया जनजाति ही है, 1950 के रेव्हेन्यु रिकार्ड/सेटेलमेन्ट रिकार्ड में किसान दर्ज किये जाने

BHERU LAL MEENA

के कारण ही इन वर्गों को वास्तविक आदिवासी होने के बावजूद भी शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ रहा है।

श्री अशोक, सिन्हा सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्ववादी), जिला समिति, सरगुजा ने उक्त वर्णित बिन्दुओं को पुष्टि करते हुये जानकारी दी कि इन जिलों में बहुत से परिवारों में एक भाई के राजस्व रिकार्ड में नगेसिया जाति दर्ज किया गया था तथा एक अन्य भाई के राजस्व रिकार्ड में किसान दर्ज किया गया है। अतः एक भाई जिसके रिकार्ड में नगेसिया दर्ज किया गया था, को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल रहा है तथा दूसरे भाई, जिसके रिकार्ड में किसान लिखा था, को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः किसान को भी नगेसिया/नागासिया मानते हुये अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलना चाहिए।

<u>भूईया, भूईयां एवं भूयां समुदायें के अनुसूचित जनजाति का होने के संबंध में पैरवी :</u>

श्री अवधेश ऋषि, अध्यक्ष छ.ग. राज्य भूईयां (भूमिया) समुदाय जिला–सरगुजा, (छ0ग0) ने कहा कि भूईया, भूईयां एवं भूयां जाति इस राज्य की मूल आदिम जनजाति है जिसका उल्लेख शासकीय अभिलेखों में है। किन्तु मात्रात्मक त्रुटि के कारण विगत 18 वर्षों से इन जनजाति के लोगों को जनजातियों को मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। श्री अवधेश ऋषि ने भूईया, भूईयां एवं भूयां जातियों के मूल जनजाति होने के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये :

1. मध्य प्रान्त में सम्मिलित रियासतों का भूमि अधिकार आदेश के नियम संख्या 3662–00012, मध्य प्रान्त के रियासतों का भूमि अधिकार आदेश, 1949 के खंड 10 में की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रान्तीय सरकार द्वारा 31 मार्च 1949 को घोषित जनजातियों की सूची के क्र. 15 पर भुईया जनजाति घोषित है।

2. Part IV (C) Madhya Pradesh GAZ-Dec. 8,1950 म.प्र. के राज्यपाल के नाम से जारी जनजातियों की सूची में स.क्र. – 15 पर भूंईया जाति का उल्लेख है।

3. म.प्र. बजट 2 दिसम्बर, 1960 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 8000–1905 सात.ना. दिनांक 25/नवम्बर 1960 द्वारा राज्य शासन की धारा 165 के अधीन सम्पूर्ण राज्य के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची के स.क्र. 5 पर भुंईया जाति का उल्लेख है।

4. म.प्र. राज्य में 1976 में जारी जनजातियों की सूची में स.क्र. 5 भुईया की समानान्तर जाति, भुमिया, भुमिया शब्द का तीन बार उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है, भुईया शब्द इसी कारण विलुप्त हो गया है। भुईया, भुंईहर, भारिया, भामिया आदि समान्तर जनजातियां है। मात्रात्मक त्रुटि के कारण भी यह स्थिति निर्मित हो सकती है।

5. छ.ग. राज्य गठन के बाद छ0ग0 राज्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर ने कुछ जातियों की मात्रात्मक त्रुटि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। कुछ जातियों का समिति द्वारा परीक्षण करके मात्रात्मक त्रुटि सुधार करने हेतु सन् 2002 में राज्य शासन को एक प्रतिवेदन सौंपा था, जिस पर Notification जारी होना

चाहिए था। इस प्रतिवेदन के अनुसार केवल भारिया जनजाति का Notification जारी हुआ। भुईया एवं अन्य जातियों का Notification जारी नहीं हुआ।

6. छ.ग. में जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण की पात्रता नामक पुस्तिका क्र. 1, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित की गयी है। वर्ष 2004 में प्रकाशित यह पुस्तिका शासकीय उपयोग के लिए है। पुस्तिका के पृ.क्र. 6.5 पर उत्तरी आदिवासी क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, कोरबा जिले में भुंईया जनजातियों के लोग अन्य जनजातियों के साथ निवास करते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार इन्हें कृषक जनजाति बताया गया है।

7. आदिम जाति अनुसंधान संस्थान, रायपुर छ.ग. के द्वारा जारी पुस्तिका शीर्षक छ.ग. की अनुसूचित जनजातियां प्रकाशन क्र. 2 पृ.क्र. (5) 2, 3 पर भुईया जनजाति का उल्लेख है। पृ.क्र. (7) जनजातियों के अनुक्रम 6.5(2) पर 73289 आबादी समानान्तर जातियों के साथ गणना की गयी है।

8. 1982 तक भुईया जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता रहा है। मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग का होते हुए भी इस जाति के लोग जनजातियों के लाभ से वंचित हैं। मनमाने ढंग से इन्हें कहीं पिछड़ा वर्ग तो कहीं सामान्य वर्ग में (जनगणना एवं शासकीय अभिलेखों में) अंकित किया जा रहा है, जिससे नयी–नयी विसंगतियां पैदा हो रही हैं।

श्री अवधेश ऋषि ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि भारत की मूल आदिम जनजातियों की सूची में सम्मिलित भुंईया जनजाति का नाम सूची से विलुप्त होने के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां हो रही हैं।

श्री सी.पी. ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि 31 मार्च 1944 में जातियों की सूची में 15 नं. पर भूईयां जाति अनुसूचित जनजातियों की जाति सूची में शामिल थी। इसके पश्चात् 8 दिसम्बर 1950 की जाति सूची में संख्या कमांक 5 में भूईया जाति का उल्लेख था। 1960 में कमांक 25 में अनुसूचित जनजाति सूची में भूईयां जाति उल्लेख है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा संशोधित सूची, 1976 में भूईयां जाति के संबंध में विसंगति कर सूची जारी की गई जिसमें भूईया जाति को जनजाति सूची से डिलिट (निकाल कर) तीन बार भूमिया, भूमिया, भुमियां लिखा गया है। चूँकि भूमियां नवगठित छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, भूईयां जाति को ही भूमियां कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली में जमीन को भुई कहा जाता है तथा वहा से ही भूईयां जाति की उत्पत्ति हुई है। अतः जशपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर आदि जिले में आदिवासी मूल की भूईयां जाति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं।

11–08–1988 को आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने भूईयां जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सुझाव दिया था जिसके फलस्वरूप भूईयां जाति को जाति प्रमाण पत्र कुछ समयावधि हेतु मिलने लगा था परन्तु धीरे–धीरे

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
Member

भुईयां जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना बंद कर दिया गया। अतः भूईयां जाति के लोगों को आदिवासी होते हुये भी मात्रात्मक एवं बोलचाल की भाषा में त्रुटि के कारण आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप इन वर्गों को शिक्षा एवं शासकीय नौकरी में आरक्षण एवं अन्य आर्थिक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। श्री ठाकुर ने भूईया, भूईयां एवं भूयां जातियों को आदिवासी सूची में शामिल करने हेतु आयोग से भारत सरकार को अनुशंसा करने का अनुरोध किया। **बैठक में किसी भी समाज के व्यक्ति ने किसान समुदाये को नगेसिया, नागासिया समुदाय के साथ एवं भूईया, भूईयां एवं भूयां समुदाय को भूमिया समुदाय के साथ राज्य कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की।**

उपरोक्त बैठक के उपरान्त आयोग के दल ने सरगुजा जिले के विभिन्न कस्बों एवं गांवों में दौरा कर किसान, नगेसिया, नागासिया, एवं भूईया, भूईयां एवं भूयां जातियों से सम्पर्क कर उनके रहन–सहन, शादी विवाह, नृत्य, गीत, जन्म, मृत्यु संस्कार, जीविका के साधन, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति आदि के बारे में वास्तविक आकलन करने का प्रयास किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

<u>आयोग के दल का सरगुजा जिले की बस्तियों एवं गांवों का दौरा एवं किसान, भूईयां, भुईयां,एवं भूयां जातियों के रहवासों का स्थलीय निरीक्षण</u> :

<u>भूईयां जाति के मोहल्ला दर्रीपाड़ा, अम्बिकापुर</u> :

आयोग के दल ने सर्वप्रथम अम्बिकापुर शहर में स्थित दर्रीपाड़ा का दौरा किया जिसमें भूईया, भूईया, भूयां जातियों के लोग निवासरत हैं। आयोग के दल ने श्री बलराम, श्रीमती बुधनीबाई एवं अन्य भूईयां समुदाय के लोगों से मिलकर उनके रहन–सहन, जीविका उपार्जन के साधन, नृत्य, गीत, विवाह एवं अन्य रीति–रिवाज के संबंध में जानकारियां प्राप्त कीं। **मोहल्ला वासियों ने आयोग के दल को जानकारी देते हुए बताया कि** वर्षों पूर्व से भूईया, भूईयां एवं भूयां जातियों के लोग सरगुजा जिले के आसपास के गांवों से रोजी–रोटी के तलाश में अम्बिकापुर शहर में आकर निवास कर रहे हैं तथा बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपना तथा परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं। शासन से उनकी जातिं को अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहे हैं अतः उनको किसी स्वरोजगार हेतु ऋण नहीं मिल रहे हैं तथा उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभों से वंचित होना पड रहा है।

<u>ग्राम–केवड़ा, विकास खण्ड – लखनपुर, जिला सरगुजा</u> :

आयोग के दल ने ग्राम – केवड़ा, विकासखण्ड – लखनपुर, जिला – सरगुजा मे दौरा कर भूईयां समुदाय के लोगों से चर्चा कर उनके संबंध में जानकारियां हासिल कीं। चर्चा के दौरान श्री <u>सत्यनारायण राय</u> पिता– मंगल ने जानकारी देते हुये कहा कि उनका परिवार भूईयां समाज से है तथा सुअर पालन करके जीविका चलाते हैं। 20 वर्ष पूर्व तक उनका परिवार आदिवासियों को मिलने वाले लाभों से लाभाविन्त हुआ है। परन्तु जब से शासन द्वारा भूईयां जाति को आदिवासी जाति प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया तब से उनके परिवार

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA

एवं भूईयां समाज के लोगों को शासकीय योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। श्री शिव कुमार एवं श्री दरबारी ने आयोग की दल को जानकारी देते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में भूमियां जाति नहीं है। भूईयां ही भूमिया हैं जो कि मूलतः आदिवासी हैं। चर्चा के दौरान श्री हरिराम राय, श्रीमती विमला, श्री राजेन्द्र बाबू आदि ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल आदिवासी हैं फिर भी उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप उनके बच्चों को छात्रवृत्ति एवं शासकीय नौकरी भी नहीं मिल रही है। इस कारण भूईयां समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आयोग के दल ने केवडा गांव के अन्य समुदायों के ग्रामवासियों भी चर्चा की। उन्होने भी जानकारी दी कि भूईयां समाज के लोग वास्तव में आदिवासी हैं तथा अनुसूचित जनजाति होने का पात्रता रखते हैं।

<u>भुईयां पारा, जुनालखनपुर, जिला–सरगुजा :</u>

आयोग के दल ने भूईयां पारा, जुनालखनपुर जिला–सरगुजा में भुईयां समुदाय के लोगों से मिलकर उनके रहन–सहन एवं जीविका उपार्जन के साधन आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। श्री राजेन्द्र जायसवाल, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, लखनपुर, जो कि दूसरे समुदाय से हैं, ने जानकारी दी कि भूईयां समाज वास्तव में आदिवासी है परन्तु वर्तमान में शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनके समाज के लोगों को शासन के किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप दिन–प्रतिदिन भूईयां समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे सस्ते दर पर अनाज के फलस्वरूप वो किसी प्रकार जीविका पाल रहे हैं। गांव के मुखियां श्री बोधन राम, श्री राम चरण एवं श्री सभिरण राय ने जानकारी देते हुये कहा कि पूर्व में भुईयां जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था परन्तु 1976 के बाद शासन द्वारा भूईयां जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। भूईयां समाज के लोगों ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि बरसात के मौसम में वो सुअर पालन एवं खेती, खेतिहर मजदूरी का कार्य करते हैं तथा बाकी समय बाहर जाकर ईंट बनाते हैं। उक्त गांव में भूईयां समाज के एक व्यक्ति, जो कि शिक्षक हैं, ने जानकारी देते हुये कहा कि भूईयां समाज के लोग बहुत ही पिछडे एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। चर्चा के दौरान श्री गोपाल, जो कि भुईयां समाज से हैं, ने आयेग क दल को अपनी व्यथा सुनाते हुये कहा कि वे स्नाकोत्तर कर रहे हैं परन्तु अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र नहीं होने के फलस्वरूप उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तथा शासकीय नौकरी भी मिलना कोई निश्चित नहीं है। उन्होने आगे जानकारी देते हुये कहा कि गाव के एक व्यक्ति, जो क आई टी आई उत्तीर्ण हैं, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र नही होन के कारण शासकीय नौकरी से वंचित हैं।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

ग्राम बाटवाही, विकासखण्ड–लुण्डा जिला–सरगुजा :

आयोग का दल प्रारंभिक तीन गांवों/मोहल्लों में भुईयां, भूईयां, एवं भूयां समुदाय से मिल कर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् किसान, नगेसिया, नागासिया समुदाय से मिलने हेतु ग्राम बाटवाही, विकासखण्ड–लुंण्डा जिला–सरगुजा पहुंचा। ग्राम बटवाही के सरपंच श्री नागेश साय ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि उनके राजस्व रिकार्ड में जाति के कॉलम में "किसान" दर्ज है तथा वे लोग किसान जाति के नाम से ही जाने जाते हैं परन्तु उनकी पत्नी के राजस्व एवं अन्य रिकार्ड में नगेसिया दर्ज है। चूँकि नगेसिया ही किसान एवं किसान ही नगेसिया हैं, अतः रोटी–बेटी का संबंध है। नगेसिया एवं किसान में कुछ भी भिन्नता नहीं है, वह केवल सेटलमेंट/राजस्व रिकार्ड में दर्ज नगेसिया के स्थान पर किसान होने तक की ही भिन्नता है।

श्री राम देवराम जो कि उरांव समाज से हैं तथा वर्तमान लुण्डा, विधान सभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कांग्रेस विधायक हैं, ने भी किसान जाति को नगेसिया, नागासिया जाति के होने की पुष्टि करते हुये कहा कि दोनो एक ही जाति हैं, केवल राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने के कारण किसान जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ प्रात नहीं हो रहा है। चूँकि अधिकतर नगेसिया लोग कृषि कार्य करते हैं अतः राजस्व सर्वेक्षण के दौराण नगेसिया के स्थान पर किसान लिखा गया। वे लोग इस बात की अनभिज्ञ थे कि भविष्य में किसान जाति दर्ज करने के कारण जाति प्रमाण मिलने में परेशानी होगी। आयोग के दल के समक्ष गांव के किसान समुदाय के लोगों ने आदिवासी गीत एवं नृत्य प्रस्तुत भी प्रस्तुत किया तथा यह प्रमाणित करने कि कोशिश की कि वे लोग वास्तव में आदिवासी हैं।

<u>ग्राम–पुरकेल विकासखण्ड–लुण्डा :</u>

ग्राम पुरकेल में आयोग के दल के समक्ष श्री नेहरू राम, जिनके शासकीय एवं राजस्व रिकार्ड में किसान जाति दर्ज हैं, ने जानकारी देते हुये कहा कि किसान जाति वास्तव में नगेसिया है। 1950 के पूर्व में राजस्व रिकार्ड में किसान लिखे जाने के फलस्वरूप उनके किसान समाज को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप किसान समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस क्रम में श्रीमती कलावती ने जानकारी देते हुये कहा कि वे लोग वास्तव में नगेसिया है। चूँकि राजस्व रिकार्ड में किसान दर्ज है अतः उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं सरकारी लाभ नहीं मिल रहे हैं। श्रीमती कलावती ने आगे जानकारी देते हुये कहा कि किसान समाज के लोग बहुत ही गरीब एवं पिछड़े हैं तथा किसी प्रकार खेती–किसानी, मजदूरी एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत् मिलने वाले रोजगार से जीविका चला रहे हैं। श्रीमती कलावती ने आयोग के दल से किसान जाति को यथाशीघ्र छत्तीसगढ़ राज्य की अनूसूचीत जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा करने हेतु अनुरोध किया।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

ग्राम आमाटोली :

आयोग के दल ने ग्राम आमाटोली, विकास खण्ड सीतापुर, जिला सरगुजा का दौरा कर नगेसिया एवं किसान दोनों के परिवारों के साथ प्रत्यक्ष भेंट कीं। श्री सितू एवं श्री बोधन, जो कि नगसिया समाज से हैं तथा जिनको वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल रहा है, ने पुष्टि की कि किसान एवं नगेसिया एक ही जाति से हैं तथा इनमें रोटी–बेटी का संबंध है। किसान एवं नगेसिया में आपस में शादी विवाह होता है। उन्होने अपने गांव के ही श्री ऐतुराम के उदाहरण देते हुये कहा कि वे नगेसिया हैं परन्तु उन्होंने किसान परिवार की बेटी से विवाह किया है। आयोग के दल ने श्री ऐतुराम के घर का दौरा कर श्री ऐतुराम एवं उनके परिवार के लोगों से मिलकर उनसे चर्चा की। आयोग के दल ने श्री नोहर, जो कि कंवर समाज से हैं एवं गांव के सरपंच हैं तथा श्री अगनू जो कि नगेसिया हैं, के साथ चर्चा कर किसान समाज के नगेसिया समुदाय होने के दावे के संबंध में उनकी राय प्राप्त की। उन दोनों ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि किसान एवं नगेसिया एक ही जाति है केवल राजस्व रिकार्ड के भिन्नता के अलावा उनमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं है।

बलरामपुर जिले की दौरा रिपोर्ट

दिनांक 12/07/2013 को आयोग का दल जिला–बलरामपुर पहुंचा। बलरामपुर जिला जनवरी 2012 में सरगुजा जिले को बांटकर बनाया गया है। जिला कलेक्टर श्री सी.आर. प्रसन्न के किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण जिला प्रशासन एवं आदिवासी संगठनों के साथ आयोग के दल द्वारा ली गई बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। श्री डी. आर. भगत, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, श्री पी.आर. निर्मल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी गण ने जिला प्रशासन बलरामपुर का प्रतिनिधित्व किया। श्री डी.आर. भगत, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला बलरामपुर ने आयोग के दल का स्वागत करते हुये जिले की किसान जाति एवं भुईयां, भूईया, भूयां जाति को शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के फलस्वरूप हो रही परेशानी से अवगत कराया।

किसान, नगेसिया एवं नागासिया जाति :

श्री कृष्णा कुमार नाग, अध्यक्ष, नगेसिया समाज, जिला–बलरामपुर ने किसान जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को आयोग की अनुशसा भेजने हेतु अनुरोध करते हुये कहा कि किसान एवं नगेसिया समाज एक ही है। केवल 1950 के पूर्व में राजस्व रिकार्ड/Settlement Record में नगेसिया के स्थान पर किसान लिख दिये जाने के कारण इन किसान लोगों को जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा जारी किया जाना बंद कर दिया गया है।

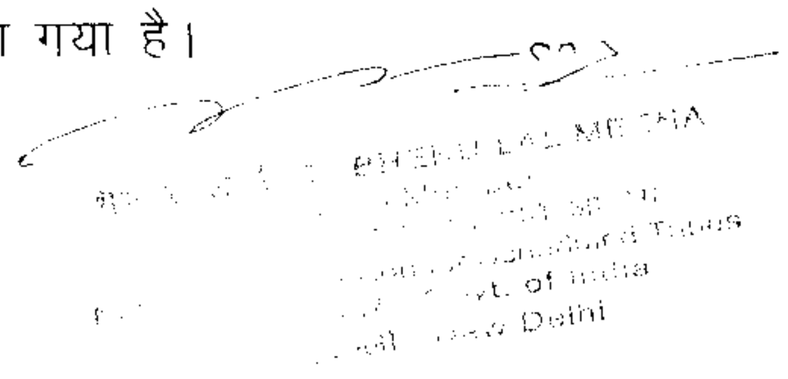

चर्चा के दौराण किसान समाज के अन्य प्रतिनिधियों ने भी दिनांक 11.07.2013 को जिला कलेक्टर सरगुजा के साथ बैठक में किसान समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार ही किसान समाज के बारे में जानकारी दी तथा किसान जाति के ही नगेसिया जाति का होने का दावा किया। आयोग के माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना ने बैठक में उपस्थित अन्य जातियों से किसान को छ0ग0 राज्य के अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने के बारे में यदि किसी को आपत्ति हो तो आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करने हेतु अनुरोध करने किया पर बैठक में उपस्थित किसी भी समाज के व्यक्ति/संगठन के प्रतिनिधि ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई तथा सभी ने एक सुर में किसान को नगेसिया जाति के होने का पुष्टि की तथा सभी ने एक स्वर में किसान जाति को अदिवासी होना तथा छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु जोरदार वकालत करते हुये आयोग के दल को जानकारी दी कि किसान एवं नगेसिया राजस्व रिकार्डों में भिन्नता के अलावा बाकि किसी में कोई भिन्नता नहीं है। पूर्व में किसान जाति को नगेसिया जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। परन्तु अब आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ शासन द्वारा 1950 के पूर्व के राजस्व रिकार्डो में किसान दर्ज होने के कारण जाति प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं किये जाय रहे हैं। बैठक में उपस्थित भूतपूर्व सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि 1950 में राजस्व/सेटलमेण्ट रिकार्डो में किसान दर्ज होने को आधार मानकर वर्तमान के राजस्व एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में नगेसिया दर्ज होने के बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं किया जा रहा है। उन्होने कहा कि 3 वर्ष पूर्व उनके बेटे को नगेसिया जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था परन्तु अब उनकी बेटी की जाति प्रमाण पत्र जारी करने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज ने स्पष्ट मना कर दिया क्योंकि उनके परिवार के 1950 के पूर्व के सेटलमेण्ट रिकार्डो में किसान जाति दर्ज है।

भुईया, भूईया, भुयां जाति :

श्री राजेन्द्र प्रसाद, भुईया समाज जिला प्रतिनिधि ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि भुईयां जाति को 1992 से पूर्व तक छ0ग0 शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। इसके बाद भूईयां को जाति प्रमाण पत्र जारी करना बिल्कुल बंद कर दिया है जिसके फलस्वरूप शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित भुईयां समाज के प्रतिनिधि श्री बुधराम ने कहा कि उन्हे 1992 से पूर्व में भूईया जाति के नाम से तत्कालीन म.प्र. शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था तथा वे शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभांवित भी हुये परन्तु अब भूईया समाज को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। श्री बुधराम ने आयोग के दल को भूईया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशसा करने का अनुरोध किया। बैठक में उपस्थित किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने भुईया समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची से शामिल करने पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बैठक में उपस्थित श्री जे.आर. ठाकुर, भुईयां समाज के प्रतिनिधि ने उनके समुदाये के आदिवासी होने के दावे के सबध में आयोग के दल के समक्ष दिनांक 11.07.2013 को जिला कलेक्टर, सरगुजा के साथ बैठक एवं सरगुजा जिले में आयोग के दल के दौरे के दौरान ग्रामवासियों द्वारा भूईयां समाज के संबंध में दी जानकारी के अनुसार ही जानकारी दी।

भगत एवं श्री पी.आर निर्मल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने उक्त दोनों जातियों के आदिवासी होने के बारे में जिला प्रशासन की ओर से पुष्टि की।

बैठक में अन्य जातियों के प्रतिनिधियों ने भी आयोग दल के समक्ष आदिवासी होने एवं उनकी जाति को छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने तथा कुछ अन्य मांगें भी रखीं तथा साथ ही लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये जो कि निम्नानुसार है।

क्रमांक	जाति/समाज	अभ्यावेदन प्रेषित करने वाले का नाम पद/पता	विषय
1.	पनिका	श्री कृष्णा राम पनिका, पनिका समाज कल्याण समिति, जिला–बलरामपुर, रामानुजगंज, (छ0ग0)	अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने हेतु।
2.	पाण्डो	जिला अध्यक्ष, पाण्डो जनजाति समाज कल्याण समिति, जिला–बलरामपुर, (छ0ग0)	विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने एवं अन्य मांगें।
3.	कोरवा एवं कोडाकू	जोनकुश, कुमरिया प्रदेशाध्यक्ष, कोडा कूज जनजाति विकास समिति (छ0ग0)	कोरवा एवं कोड़ाकू जनजातियों का सर्वांगीण विकास।
4.	खैरवार एवं खेरवार खरवार	श्री बबला नन्द, जिलाध्यक्ष, खैरवार/खेरवार आदिवासी विकास परिषदख जिला–बलरामपुर, रामानुजगंज, (छ0ग0)	खैरवार एवं खेरवार शब्दधारियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने बाबत्।

जिला बलरामपुर में विभिन्न समुदायों एवं जिला प्रशासन से बैठक के उपरान्त आयोग के दल ने बलरामपुर जिले में सुदूर ग्रामांचल में बसे भुईया, भूईयां, भूयां एवं किसान नगेसिया, नगासिया जाति के जीवन यापन, रहन–सहन एवं रीति–रिवाजों से रूबरू होने हेतु निम्नानुसार दौरा किया :

BHERU LAL MEENA
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

ग्राम छलधोया, जिला–बलरामपुर :

ग्राम छलधोया में भूईयां समाज के प्रतिनिधि श्री भुनेश्वर ने जानकारी देते हुये कहा कि गांव में कुल जनसंख्या 600 लगभग हैं। उनमें से करीब 115 लोग भूईयां समाज से है जो कि बहुत ही पिछड़े हुये हैं। 1992 के पूर्व भूईयां समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। वर्तमान में शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनके समाज के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित होने के साथ–साथ शासकीय नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। श्री देवनारायण राम, भूईयां समाज के प्रतिनिधि ने आयोग के दल से भूईयां जाति को यथाशीघ्र छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने का आग्रह किया।

ग्राम–रेहाड़ा, ब्लॉक–शंकरगढ़, जिला बलरामपुर :

ग्राम–रेहाड़ा, ब्लॉक–शंकरगढ़, जिला–बलरामपुर जिला मुख्यालय से करीब 100 किमी दूर स्थित है। आयोग के दल ने रेहाड़ा गांव के ग्रामवासियों से चर्चा की। चर्चा के दौराण सभी ग्रामवासियों ने एक सुर में जानकारी दी कि किसान एवं नगेसिया एक ही जाति से हैं। 1950 के पूर्व के राजस्व/सेटलमण्ट रिकार्डों में किसान दर्ज होने के कारण 2004 से जिला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं जिसके कारण मूल आदिवासी समाज का होने के बावजूद भी शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। 10वी एवं 12वीं पास होने के बावजूद भी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के अभाव में उनके समाज के युवक–यूवतियों को शासकीय नौकरी नहीं मिल रही है। सभी ग्रामवासियों ने भारत सरकार को किसान जाति को छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने हेतु आयोग के दल से अनुशंसा करने का अनुरोध किया।

ग्राम सेरगेदारा, ब्लॉक– कूसमी, जिला बलरामपुर :

ग्राम सेरगेदारा, ब्लॉक–कूसमी, जिला–बलरामपुर में आयोग के दल के पहुंचने पर किसान, नगेसिया, नागासिया समाज के लोगों ने आदिवासी नृत्य एवं गीतों की प्रस्तुति के साथ स्वागत किया। वहां आस–पास के 10 ग्रामों के किसान, नगेसिया, नागासिया समाज के हजारों ग्रामवासी उपस्थित थे। किसान समाज के जनप्रतिनिधि श्री सरदेश कुमार, श्रीमती ललिता देवी, श्री बृजनदंन राम एवं अन्य समाज एवं ग्राम प्रमुखों ने एक सुर में अपने व्यथा सुनाते हुये कहा की किसान नगेसिया एक जाति के ही हैं। छ0ग0 राज्य की एक प्रमुख जनजाति होने के बावजूद भी 1950 के पूर्व राजस्व सेटलमेण्ट रिकार्डों में नगेसिया के स्थान पर किसान दर्ज कराने के कारण फरवरी 2011 से उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप वे आज सभी क्षेत्र में पिछड़े हुये है। उनके बच्चों को न तो स्कूल कॉलेजों में छात्रवृत्ति मिल रही है और न ही शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश एवं शासकीय नौकरी में आरक्षण मिल रहा है। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने किसान समाज के लोगों की जमीन का हस्तांतरण गैर

आदिवासियों को बिना रोक–टोक किये जाने की शिकायत की। उनका कहना था कि किसान जाति का नाम छ0ग0 राज्य कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में न होने के कारण ऐसा हो रहा है।

श्री बृज नंदन राम ने किसान समुदाय के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि पूर्व में एक बार नगेसिया जाति के लोगों द्वारा खेती किसानी एवं मेहनत के द्वारा अधिक पैदावार कर अकाल को दूर करने में बहुत अधिक योगदान को देखते हुये सरगुजा रियासत के राजा ने नगेसिया जाति को किसान उपाधि से अलंकृत किया था अतः इस इलाके के अधिकतर नगेसिया लोगों को किसान के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप यहां के लोग, जो कि वास्तव में नगेसियां हैं, के राजस्व रिकार्डो में किसान जाति दर्ज की गई है।

डॉ0 सोहनलाल, जो कि पूर्व विधायक हैं, ने जानकारी देते हुये कहा कि म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा किसान जाति के नगेसिया जाति होने के संबंध में निर्णय दिया है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा किसान जाति को नगेसिया जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों/समाज प्रतिनिधियों ने आयोग से अनुरोध किया कि किसान जाति को नगेसिया, नगासिया जाति मानकर उनके साथ किसान जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा करें।

जशपुर जिला की दौरा रिपोर्ट

दिनांक 12.07.2013 को रात्रि 9:00 बजे आयोग का दल जशपुर पहुंचा।

आई ए.पी. इंस्टिट्यूट ऑफ कोचिंग केन्द्र का दौरा :

दिनांक 13.07.2013 को आयोग का दल प्रातः 8:30 बजे जशपुर शहर में स्थित आई.ए.पी. इंस्टिट्यूट ऑफ कोचिंग केन्द्र (I .A. P. Institute of Coaching Centre) में गया। कोचिंग सेन्टर में पढ़ने वाले बच्चे से मुलाकात कर उनके बारे में जानकारी ली। संस्था के प्रभारी ने जानकारी देते हुये कहा कि उनकी संस्था में वर्तमान सत्र में 61 छात्राएं हैं जोकि 11वीं एवं 12वीं की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं जिनमें से 51 छात्राएं आदिवासी समाज से हैं। उनकी संस्था द्वारा विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है जिससे कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होकर आई.आई.टी, जैसी संस्थाओं में प्रवेश पा सकें। उक्त छात्राओं की रहने, खाने–पीने की सम्पूर्ण व्यवस्था मुफ्त में की जा रही है। आयोग का दल आई. ए. पी. इंस्टिट्यूट ऑफ कोचिंग केन्द्र द्वारा देश के गरीब एवं आदिवासी बच्चों को दी जा रही उच्चकोटि की शिक्षा से काफी प्रभावित हुआ एवं संस्था संचालक तथा शिक्षकों की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
/ Member

जे.एन. आदर्श स्कूल में स्थित विजुअल ऑडीटोरियम का दौरा :

आयोग के दल ने जशपुर शहर में ही जिला प्रशासन द्वारा जे.एन. आदर्श स्कूल में जिले के आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा मूलक, ज्ञानवर्धक जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु बनाये गये विजुअल ऑडीटोरियम का भ्रमण किया। श्री बेनर्जी, जिन्होंने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में उक्त वातानुकूलित ऑडीटोरियम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने जानकारी दी कि प्रत्येक रविवार को जशपुर जिले के सूदुर अंचल में स्थित स्कूलों के विद्यार्थियों को बुलाकर उन्हे ऑडियों– विजुयल के माध्यम से शिक्षामूलक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी जा रही है जिससे छात्र–छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो रही है। आयोग का दल जिला प्रशासन द्वारा जिले के आदिवासी विद्यार्थियों के हित में प्रदान की जा रही शिक्षामूलक– ज्ञानवर्धक कार्यक्रम से बेहद प्रभावित हुआ एवं जिला प्रशासन के तारीफ की।

जिला कलेक्टर, जशपुर एवं विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ बैठक :

आयोग के दल ने दिनांक 13–07–2013 को सर्किट हाउस, जशपुर में श्री एल.एस.केन, जिला कलेक्टर, श्री जे.आर. नागवंशी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला – जशपुर एवं विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान किसान नगेसिया, नागासिया, भूईया, भुईया एवं भूयां जाति के लोगों के साथ अन्य जातियों के प्रतिनिधियों ने भी आयोग के समक्ष अपना समस्याएं रखीं जो निम्नानुसार हैं :

भूईयां, भुईया एवं भूयां जाति :

आयोग के दल के समक्ष श्री शिवनाथ साई, सचिव, भूईयां (भूमिया) समाज कल्याण समिति, जशपुर ने अपने बात रखते हुये कहा कि भूईयां जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद अनुसूचित जनजाति का लाभ पाने से वंचित हो रही है। लिपिकीय एवं मात्रात्मक त्रुटि के फलस्वरूप भूईयां, भुईयां एवं भूयां के स्थान पर भूमिया शब्द अनुसूचित जनजाति की सूची में तीन बार लिखा गया है तथा भूईयां, भुईयां एवं भूयां शब्द विलुप्त हो गया। उक्त त्रुटि के फलस्वरूप इन समुदायों के लोग, जो कि मूल रूप से आदिवासी है, अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले शासकीय लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि छ0ग0 राज्य में भूमिया नाम से जाति है ही नहीं, भूमिया मध्यप्रदेश के रीवा जिले में निवासरत हैं। अतः उन्होंने उनकी जाति को छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची में भूमिया जाति के साथ शामिल किये जाने हेतु आयोग से भारत सरकार को अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया । भूईयां समाज द्वारा उनकी जाति के संबंध में आदिवासी होने के दावे के समर्थन में दी गई अन्य जानकारी जिला सरगुजा एवं बलरामपुर में दी गई जानकारियों के अनुसार ही है। श्री साई ने आयोग के दल को भूईयां, भुईयां एवं भूयां जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति के सूचीं में शामिल करने हेतु लिखित आवेदन भी प्रस्तुत किया।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

आयोग के दल में बैठक में उपस्थित अन्य आदिवासी संगठनों से भूईया जाति के आदिवासी होने के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो दर्ज कराने का अनुरोध करने पर किसी भी व्यक्ति ने भूईया समाज के आदिवासी होने के संबंध में आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

जिला प्रशासन के तरफ से जिला कलेक्टर श्री एल एम केन एवं श्री जे.आर. नागवंशी, सहायक आयुक्त ने भी भूईयां जाति को आदिवासी होने के पुष्टि की।

<u>किसान जाति :</u>

श्री दिलधरन, जिला अध्यक्ष, नगेसिया समाज, बगीचा ने किसान जाति के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि किसान एवं नगेसिया, नागासिया एक ही है, केवल राजस्व/सेटेलमेन्ट रिकार्ड में उनके पूर्वजों द्वारा किसान दर्ज किये जाने के फलस्वरूप रिकार्डो में किसान जाति लिखा होने के कारण लोगों को शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहें हैं। किसान और नगेसिया, नागासिया का आपस में बेटी–रोटी के संबंध है तथा रहन–सहन, रीति–रिवाज एक है। श्री दिलधरन ने आयोग से छ0ग0 राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में किसान जाति को नगेसिया, नगासिया के साथ जोड़ने हेतु भारत सरकार को सिफारिश करने का अनुरोध किया एवं इस बाबत् आयोग को आवेदन भी दिया। श्री दिलधरन द्वारा किसान जाति को अनुसूचित जनजाति का होने के पक्ष में दी गई अन्य जानकारियां पूर्व में सरगुजा एवं बलरामपुर में किसान समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानाकारी के अनुसार ही है। बैठक में उपस्थित अन्य आदिवासी समाज के व्यक्तियों ने किसान समाज को अनुसूचित जनजाति का होने के उनके दावे के संबंध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

जिला कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जशपुर ने भी किसान एवं नगेसिया, नागासिया के एक होने एवं आदिवासी होने की पुष्टि की।

श्री जे.आर. नागवंशी, सहायक आयुक्त, जशपुर ने जशपुर जिले में अन्य जनजातियों के साथ भी जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्या होने की जानकारी दी है जो निम्नानुसार है :

अनुसूचित जनजाति, जाति प्रमाण–पत्र संबंधी समस्या :

क.	अ0ज0जा0 का नाम	सूची कमॉक	अ.ज.जा.प्रमाण पत्र नहीं बनने का कारण	अभिमत/अपेक्षा
1.	भारिया, भुमिया, भुइहर, पलिहा	5	1950 के पूर्व मिसल अभिलेख में भुईयां जाति अंकित होने के कारण	सूची क. 5 में भुईया जाति को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

2.	नगेसिया	32	1950 के पूर्व मिसल अभिलेख में किसान अंकित होने के कारण	सूची क्र. 32 में किसान जाति को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
3.	नागवंशी	16	1950 के पूर्व मिसल अभिलेख में नगवंशी, नगबसी, नागवशी, नागवासी, अंकित होने के करण	सूची क्र. 16 में नगवंशी, नगबसी, नागवशी, नागवासी को शामिल किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि उक्त दर्शित सभी एक ही जाति के लोग है, एवं आपस में शादी–विवाह, खान–पान करते हैं।
4.	उरॉव	33	1950 के पूर्व मिसल अभिलेख में कृष्तान उरॉव, संसारी उरॉव अंकित होने के कारण	सूची क्र. 33 में कृष्तान उरांव, संसारी उरांव को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
5.	खैरवार, कोदर	21	1950 के पूर्व मिसल अभिलेख में खेरवार अंकित होने के कारण	सूची क्र. 21 में खेरवार को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
6.	गोंड	16	1950 के पूर्व मिसल अभिलेख में गोंड अंकित होने के कारण	सूची क्र. 16 में गोंड को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में उपस्थित अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी आयोग के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं एवं अभ्यावेदन दिये जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	जाति	नाम एवं पता	विषय
1	नागवंसी, नगवंसी, नगबसी, नगवशी, नगबशी, नागवंसी, नागबन्सी	छत्तीसगढ़ नागवंशी समाज, विकास परिषद, जिला–जशपुर, कार्या–मुड़ापारा, (घींचापानी) पत्थलगांव	नागवंशी जनजातियों का जाति प्रमाण पत्र तत्काल जारी किये जाने बाबत् प्रतिवेदन।
2	लोहार समाज	रापन राम अगरिया, प्रांतीय अध्यक्ष, वनवासी आदिवासी अगरिया जनजाति का लोहार समाज जशपुर,	जशपुर, सरगुजा, कोरिया, एवं रायगढ़ जिले में अगरिया जाति के लोग ही लोहार (लुहारी) कार्य

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
Member
Scheduled Tribes

		सरगुजा, कोरिया, रयगढ़ (छ0ग0)	किये जाते हैं, के संबंध में।
3	नागवन्सी, नगवंशी, नांगवंशी, नगबसी	छत्तीसगढ नागवंशी समाज विकास, परिषद, जिला–जशपुर (छ0ग0)	जशपुर, रायगढ एवं सरगुजा जिला के नागवंशी जाति में लिपिकीय त्रुटि को दुर करते हुए नागवन्सी, नगवंशी, नांगवंशी, नगबशी को एकीकरण करते हुए नागवंशी करने बाबत्।
4	नागवंसी, नगवंशी, नगवसी, नगबंशी एवं नागबन्शी	आनंद नाग, पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छ0ग0) लखु राम, ग्राम पोस्ट–कुर्रोग, महादेवडॉड़, जिला–जशपुर (छ0ग0)	नागवंशी जनजातियों का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत्।
5	भूईया, भूईयां, भूयां	शिवनाथ साय, भुईयां (भूमियां) समाज कल्याण समिति, जिला–जशपुर (छ0ग0)	छ0ग0 की अनुसूचित जनजाति सूचीं क्र. 05 पर उल्लेखित भारिया, भुमियां भुईहर (भुमिया) भुमिहार भूमिया, पालिहा, पाडो में मात्रात्मक त्रुटि को सुधार–कर भुईयां जाति को आरक्षण संबंधी संबैधानिक लाभ तत्काल दिलाने बाबत्।

<u>गांवों का दौरा :</u>

ग्राम–केरे, ग्राम पंचायत किनकेल, विकसखण्ड एवं जिला–जशपुर

आयोग के दल ने दिनांक 13/07/2013 को ही दोपहर 2:30 बजे ग्राम केरे, जो कि ग्राम पंचायत किनकेल का आश्रित ग्राम है एवं जशपुर शहर से केवल 18 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, का दौरा कर किसान, नगेसिया, नागासिया समाज के लोगों से बैठक की। बैठक में श्रीमती ठूणी बाई, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जशपुर, अध्यक्ष, श्री रामधरणराम, अध्यक्ष, नगेसिया समाज श्री सुरेश राम, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जशपुर, श्री नत्थुराम, श्री लतरूराम, श्री रामनाथ, श्री रामेश्वर एवं ग्राम केरे, राजला, खुटी टोली एवं आसपास के किसान एवं नगेसिया, नागासिया समाज के लोग उपस्थित थे। श्री रामेश्वर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसान जाति, जो कि मूलतः नगेसिया, नागासिया आदिवासी समाज से है, को शासन द्वारा राजस्व सेटेलमेण्ट रिकार्डो में किसान दर्ज होने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। उन्होने कहा कि उनके सगे चचेरे भाई के रिकार्डो में नगेसिया जाति दर्ज है अतः उन्हे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ है

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

व शासन द्वारा आदिवासियों को दिये जाने वाले लाभों से वे लाभांवित हो रहे हैं। चूँकि उनके राजस्व/सेटेलमेंट रिकार्डो में किसान लिखा हुआ है, अतः उनको आदिवासी का लाभ नहीं

मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा कुछ वर्ष पूर्व रिकार्डो में किसान लिखा होने पर भी नगेसिया समझकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था परन्तु अब बंद कर दिया गया है।

बैठक में उपस्थित अन्य ग्रामवासियों ने किसान समाज के रहन–सहन, रीति–रिवाज आदि के बारे में जो जानकारियां दीं वह पूर्व में सरगुजा, बलरामपुर एवं जिला जशपुर के कलेक्टरों/अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप ही है। बैठक में उपस्थित किसान समाज के प्रतिनिधियों ने आयोग से उनकी जाति को नगेसिया, नागासिया के साथ छ0ग0 राज्य की आदिवासियों की सूची जोड़ने हेतु भारत सरकार को अनुमोदन भेजने का अनुरोध किया।

नगेसिया समाज के लोगों ने आयोग को अवगत कराया कि इस क्षेत्र में 4000–5000 नगेसिया/नागासिया बी.पी.एल परिवार निवासरत हैं। अतः नगेसिया विकास प्रधिकरण बनाने हेतु आयोग से हस्तक्षेप करने का आग्रह करने पर बैठक में उपस्थित श्री जी.आर. नागवंशी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर ने जानकारी देते हुये कहा कि इस बाबत् शासन से आदेश आने के पश्चात् नागवंशी एवं नगेसिया विकास प्रधिकरण बनाने हेतु इन जातियों का सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त शासन स्तर पर उचित निर्णय लिया जावेगा।

<u>अन्य समस्यायों से जुडी शिकायतें :</u>

<u>स्वास्थ्य कार्यकर्ता (A.N.M) के उप स्वास्थ्य केन्द्र से अनुपस्थित रहने की शिकायत</u>

सभी ग्रामवासियों ने एक सुर में आयोग के दल से यह शिकायत की कि गांव में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी कु0 जनमुनी भगत् (ए.एन.एम) केरे गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र में माह में केवल एक बार आती हैं। गांव में किसी को भी यदि किसी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता होती है तो वे लोग गांव में स्थित पहाड़ी पर चढ़कर कुमारी जुनमनी भगत को मोबाईल पर सूचना देते हैं। तत्पश्चात ही सुश्री भगत गांव में आकर मरीज के उपचार की व्यवस्था करती हैं। ग्रामवासियों ने आयोग के दल को शासन के आदेश का हवाला देते हुये कहा कि नियमानुसार उप स्वास्थ्य केंद्र के ए.एन.एम. को गांव में हर समय उपलब्ध रहना चाहिए परन्तु सुश्री जनमुनी भगत गांव में निवास नहीं कर रहीं हैं।

2. **<u>बिजली नहीं रहने की शिकायत</u>** :

सभी ग्रामवासियों ने गांव में 20 घण्टे बिजली नहीं रहने की शिकायत की है। साथ ही यह भी कहा कि बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों की पढाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मिट्टी तेल भी समय–समय पर उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध नहीं रहता है।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
Tribes

3. <u>श्री क्षत्री, लाईन मेन, छत्तीसगढ़ राज्य वितरण विभाग के बारे में शिकायत :</u>

20 ग्रामवासियों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर आयोग के दल को लिखित शिकायत की कि 20 ग्रामवासियों से बिजली विभाग के उक्त कर्मी द्वारा दो माह पूर्व बिजली कनेक्शन के लिये प्रति परिवार राशि रूपये 1300–1300/– के मान से कुल रूपये 26000 /– लेने के पश्चात् भी बिजली कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और न ही कर्मी द्वारा रूपये प्राप्त करने की पावती/रसीद दी गयी।

4. <u>जंगली हाथियो द्वारा जनमाल एवं फसल नष्ट करने के संबंध में शिकायत :</u>

आयोग के दल को ग्रामीणों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि केरे एवं आस–पास के गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं जिसके फलस्वरूप समय–समय पर जंगली हाथियों द्वारा जान–माल एवं फसल नष्ट कर दी जाती है, परन्तु जिला प्रशासन द्वारा जंगली हाथियों की रोकथाम हेतु कारगर कदम नहीं उठाये जाते और न ही उचित मुआवजा दिया जाता है।

<u>दिनांक 14/07/2013</u>

1. केरे गांव के ग्रामीणों द्वारा सुश्री जनमुनी भगत (ए.एन.एम) के विरूद्ध की गई शिकायत के संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जशपुर के साथ बैठक :

दिनांक 13.07.2013 को आयोग के दल के केरे गांव के दौरे में ग्रामीणों ने सुश्री जनमुनी भगत (ए.एन.एम), केरे गांव के विरूद्ध की गई शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य श्री बी. एल मीना, ने डॉ टोप्पो, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जशपुर को सर्किट हाउस में बुलाकर शिकायत के संबंध में चर्चा की। माननीय सदस्य ने केरे गांव के ए.एन.एम के विरूद्ध कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट सौपने हेतु अनुरोध के साथ–साथ जशपुर जिले के सूदूर अंचलों में स्थित गांवों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरस्त करने का निर्देश दिया।

2 बिजली विभाग में कार्यरत कर्मी श्री क्षत्री के विरूद्ध केरे गांव के ग्रामीणो द्वारा अवैध रूप से रूपये 26000/– की राशि बसूली के संबंध में सहायक अभियंता, छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, जशपुर के साथ बैठक।

दिनांक 13.07.2013 को आयोग के दल के केरे गांव के दौरे में ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग में कार्यरत कर्मी श्री क्षत्री द्वारा 20 ग्रामीणों से रूपये 1300/– 1300/– प्रति परिवार के मान से राशि बसूली कर बिजली कलेक्शन दिये जाने के नाम से रूपये 26000/– की राशि लेने के 2 माह पश्चात् भी ग्रामीणों को न ही रसीद/पावती दी गई और न ही बिजली कनेक्शन दिया गया। इस संबंध में छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित के जशपुर के सहायक अभियंता के साथ आयोग के दल द्वारा दिनांक 14.07.2013 को सर्किट हाउस में चर्चा की गई। सहायक अभियंता ने आयोग के दल को आश्वासन दिया कि विषय पर जांच कर आरोपी कर्मी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट भेजने के साथ–साथ केरे गांव के इन परिवारों को बिजली कनेक्शन यथाशीघ्र प्रदान करेंगे।

BHERU LAL MEENA
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

भूईया समाज, ग्राम–पनशाला, विकासखण्ड एवं तहसील फरसाबहार, जिला–जशपुर :

ग्राम–पनशाला, विकासखण्ड एवं तहसील फरसाबहार, जिला–जशपुर, में आयोग के दल के पहुंचने पर ग्रमीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहां आसपास के 45 ग्रमों से आये हुये हजारों की संख्या में भूईयां समाज के लोग उपस्थित थे। भूईया समाज के प्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके समाज के लोग वनवासी एवं अशिक्षित हैं। 1992 से पूर्व में उनको आदिवासी का लाभ मिलता था, परन्तु उसके बाद धीरे–धीरे उनको जाति प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया है। इसका मुख्य कारण राजस्व रिकार्डो में गलत जाति दर्ज किया जाना है। जैसे एक भाई के राजस्व रिकार्ड में भूयां तथा एक भाई के रिकार्ड में भूईयां दर्ज है तथा 1978 में जाति सूची में भूमिया जाति की तीन बार प्रविष्टि की गई जिसके फलस्वरूप भूईयां, भूईयां एवं भूयां जाति विलुप्त हो गई। ग्रामीणों द्वारा भूईयां, भूईयां एवं भूयां जाति के संबंध में आयोग के दल को दी जानकारी पूर्वानुसार ही है।

लोकेर जलाशय परियोजना में प्रभावित ग्रामीणों के साथ रेड़े, ब्लॉक पत्थलगांव, जिला–जशपुर में हुई बैठक।

आयोग के दल ने दिनांक 14/07/2013 को भराड़ी नाला में तैयार लोकेर जलाशय परियोजना, जो कि ब्लॉक पत्थगांव जिला जशपुर में स्थित है के प्रभावित ग्रामीणो से उनकी समस्याओं पर चर्चा हेतु ग्राम–रेड़े में बैठक ली। बैठक में श्री आर.एन.सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार श्री नामनिक, कार्यापालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जशपुर के अलवा श्री सहदेव भगत् सरपंच रेड़े, श्री बी.एल. भगत नगर पंचायत सदस्य पत्थलगांव एवं लोकेर जलाशय में प्रभावित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

श्री सहदेव निकुंज, अध्यक्ष, किसान महासभा में आयोग के दल को जानकारी दी कि लोकेर जलाशय के प्रभावितों का आज तक पुनर्वास नहीं किया गया है तथा मुआवजे की राशि भी बहुत कम दी गई। ग्रामीणों के दुखों के सुनने वाला कोई नहीं है।

श्री नेहरू लाकड़ा, जो कि पिछले 33 वर्षो में सरपंच हैं ने जानकारी देते हुये कहा कि लोकेर जलाशय भरारी नाला में निर्मित जलाशय है तथा लोकेर गांव से 6 कि0मी0 दूर है। लोकेर जलाशय में प्रभावित 80% लोग आदिवासी समाज से हैं। शासन द्वारा मुआवजे के तौर पर 40000–50000–60000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। श्री नेहरू लाकड़ा ने छ0ग0 शासन पर आरोप लगाते हुये कहा कि चूँकि लोकेर जलाशय में प्रभावित ग्रामीण आदिवासी हैं इसलिए शासन द्वारा मुआवजे की राशि इतनी कम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 किमी की दूरी पर स्थित खमगड़ा जलाशय में प्रभावित ग्रामीणों को 7 वर्ष पूर्व में रूपये 2.50 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की राशि दी गई तथा इसी प्रकार जिला रायगढ में निर्माणाधीन केले जलाशय परियोजना में प्रभावित ग्रामीणों को 7 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की राशि दी जा रही है क्योंकि उक्त दोनों जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीण गैर आदिवासी समाज से हैं।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA

श्री नेहरू लाकड़ा ने आगे जानकारी देते हुये कहा कि लोकेर जलाशय में प्रभावित बहुत से ग्रामीणों को अभी तक मुआवजे की राशि नहीं दी गई तथा साथ ही 40 मीटर चौड़ा 20 फीट गहरी नाली (केनल) हेतु शासन द्वारा जमीन अधिग्रहण कर नहर निर्माण किया जा रहा है परन्तु आज तक प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। बैठक में उपस्थित बहुत से ग्रामीणों ने समुचित मुआवजे की राशि नहीं मिलने की शिकायत आयोग के दल से की है। आयोग के माननीय सदस्य ने अनुविभागीय अधिकारी, जिन्होंने कुछ ही दिन पूर्व ही पत्थलगांव में कार्यभार संभाला है, से लोकेर जलाशय में प्रभावित ग्रामीणों को नियमानुसार मुआवजे की राशि का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन परिवारों के पास वन भूमि का कब्जा था, उनके अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् मान्यता देकर उन्हें भी नियानुसार मुआवजा देने का निर्देश दिया एवं लोकेर जलाशय में निर्मित नहर (केनाल) हेतु शासन द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि का भी शासन के नियमानुसर मुआवजा शीघ्र दिये जाने पर जोर दिया। श्री आर. एन. सिंह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने आयोग के दल को आश्वस्त करते हुये कहा कि वह पूरे मामले की जांच कर सभी प्रभावित ग्रामीणों को शासन के नियमानुसर मुआवजे की राशि प्रदान करने हेतु यथोचित कदम उठायेंगे।

लोकेर जलाशय प्रभावित ग्रामवासियों की छ0ग0 शासन से निम्नलिखित प्रमुख मांगें हैं :

1 लोकेर जलाशय से प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजे की राशि औद्योगिक उपयोग हेतु अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजा राशि के बराबर की जाये।

2 मुआवजे की गणना करते समय जमीन, पेड़ों एवं वर्षो से कब्जाकृत जमीनों का भी मुआवजा दिया जाये।

3 लोकेर जलाशय में निर्मित नहर (केनल) से प्रभावितों का मुआवजा राशि की गणना कर शीघ्र भुगतान किया जाये।

4 प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले शासन द्वारा जमीन खरीद कर दी जाये।

ग्राम लुड़ेग, ब्लॉक–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ में नागवंशी समाज के साथ बैठक :

आयोग के दल के ग्राम लुड़ेग, ब्लॉक–लैलुंगा, जिला–रायगढ़, पहुंचने पर नागवंशी समाज के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। नागवंशी समाज की श्रीमती उर्मिला बाई, ग्राम–बहामा, ब्लॉक–लैलुंगा, जिला–रायगढ़, श्री निरंजन दास पत्थलगांव जिला–जशपुर, श्री आसंद नाग, एस.डी.ओ. टेलीफोन, पत्थलगांव, जिला जशपुर, श्रीमती प्यारोबाई नाग, ग्राम– सरईपानी, तह–बगीचा, जिला–जशपुर ने अपने समाज की समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि नागवंशी समाज के बहुत से परिवारों के राजस्व रिकार्डो में जाति दर्ज करते समय लिपिकीय एवं मात्रात्मक त्रुटि के कारण नागवंशी के स्थान पर नागवशी, नागवंशी नगवसी, नागवसिया आदि लिख दिया गया जिसके फलस्वरूप उनके समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र वर्ष 2010 से जारी कराना बंद कर दिया गया हैं। अतः राज्य शासन के माध्यम से विस्तृत

भेरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member

सर्वेक्षण करवाकर उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कर उनके समाज को जो कि मूलतः आदिवासी है, को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार एवं छत्तीसगढ शासन को अनुशंसा करने का आयोग से अनुरोध किया । नागवंशी समाज ने इस हेतु आयोग को अभ्यावेदन भी दिया है।

जिला रायगढ़

आयोग का दल दिनांक 14.07.2013 को रात्रि 8:00 बजे रायगढ पहुंचा।

दिनांक 15.07.2013

प्रातः 10 बजे रायगढ़ सर्किट हाउस में अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने आयोग के दल से बैठक कर राजस्व एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में लिपिकीय त्रुटि के फलस्वरूप उनकी जातियों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया तथा लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। विभिन्न जातियों के समाज प्रमुख से हुई चर्चा का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

संवरा जाति :

समाज के श्री प्रेमलाल सिदार ने जानकारी देते हुए कहा कि छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 40 में संवरा दर्ज है। वर्ष 2003 तक जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा जारी किया जा रहा था, राजस्व अभिलेखों में जाति के पर्यायवाची एकार्थी (Synonyms) में संवरा जाति दर्ज है। जाति सूची में सवरा (Sawra) के स्थान पर राजस्व/ Settlement रिकार्डो में सौरा, सौंरा, संवरा, सहरा आदि दर्ज किया गया है। श्री सिदार ने कहा कि संवरा जाति छत्तीसगढ़ राज्य की मूल आदिवासी होने के बावजूद भी मात्रात्मक/लिपिकीय त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने आयोग से हस्तक्षेप कर शासन से इस बारे में दिशा–निर्देश देने का अनुरोध किया है।

परव,पविया,पोबिया जाति समाज :

श्री फागुलाल सिदार ने जानकारी देते हुये कहा कि छ0ग0 राज्य बनने के बाद पबिया, पोविया जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। श्री सिदार ने आयोग से शिकायत की कि पाव जाति के छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के बाद भी रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा पाव जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने श्री सिदार को आश्वासन दिया कि जिला कलेक्टर, रायगढ़ के साथ बैठक के दौरान इस बारे में चर्चा की जायगी। श्री सिदार ने पबिया एवं पोविया जाति को भी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने हेतु आयोग से अनुशंसा करने का अनुरोध किया। पबिया जाति छ0ग0 राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग सूची मे दर्ज है।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
अनुसूचित जनजाति आयोग
Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

भैना एवं 12 अन्य जातियों को जनजाति की सूची से अलग किये जाने के संबंध में :

श्री यशवंत राज सिंह गौड़, श्री कमरिश सिंह गौड़ एवं श्री बीर नारायण सिंह नागेश ने भैना जाति सहित छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति सूची में 42 जनजातियों में से वर्ष 2003 में 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से अलग किये जाने का मुददा उठाया।

असूर जनजाति :

श्री बीर सिंह नगेश ने **असूर जनजाति**, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर के पहाड़ी इलाके में पाई जाती है, के बारे जानकारी देते हुये कहा कि असूर जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है। इनके पिछड़ेपन को देखते हुये भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा जनजाति घोषित करने के साथ–साथ उनको शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु समुचित कदम उठाये जाने चाहिए तथा असूर जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र हेतु राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण से छूट भी दिया जाना आवश्यक है क्योंकि असूर जनजाति के पास न तो जमीन है और न कोई सरकारी दस्तावेज।

भूईया जाति :

श्री डमरूधर सिदार, गांव फुलवदियां, विकास खण्ड– खरसिया, जिला–रायगढ़ ने उनकी जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि वर्ष 1978 में अखण्ड मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में भूमिया शब्द तीन बार आ जाने के कारण भूईया, भूईयां, भूया शब्द जाति सूची से विलुप्त हो गया। छ0ग0 राज्य बनने के बाद राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में भूमियां जाति का उल्लेख है। परन्तु भूमियां जाति छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पाई जाती है। सामान्य बोलचाल के भाषा में भूमिया को ही भूईया, भुईयां एवं भूयां आदि नाम से जानते है। अतः उन्होंने भूईया, भुईयां एवं भूयां जाति को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा करने का अनुरोध किया।

जिला कलेक्टर एवं विभिन्न जनजाति समूहों के साथ बैठक :

दिनांक 15.07.2013 को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ में आयोग के दल ने श्री मुकेश बंसल, जिला कलेक्टर, श्री बी.के. राजपूत, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं विभिन्न जनजातियों के प्रतिनिधियों को साथ बैठक की। जिला कलेक्टर श्री बंसल ने आयोग दल का स्वागत करते हुये बैठक में उपस्थित विभिन्न जनजातियों के प्रतिनिधियों को आयोग के दल के छ0ग0 राज्य के विभिन्न जिलों में दौरे के उदेदय के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी तथा उनसे अपनी जाति की समस्याओं के बारे एक–एक करके आयोग के सदस्य को जानकारी देने का अनुरोध किया। बैठक में निम्नलिखित जानकारी दी गई :

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

किसान जाति :

माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना ने सर्वप्रथम किसान, नगेसिया, नागाशिया जाति के प्रतिनिधियों से अपने पक्ष प्रस्तुत करने कहा। श्री बी.के. राजपूत, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि रायगढ़ जिले में किसान जाति नहीं पाई जाती है। तत्पश्चात् छ0ग0 राज्य के किसान, नगेसिया, नागासिया समाज के श्री पी.आर. नागवंशी, प्रदेश अध्यक्ष नगेसिया जनजाति समाज ने जानकारी देते हुये कहा कि रायगढ़ जिले में किसान, नगेसिया जनजाति लैलुंगां ब्लॉक में पाई जाती है तथा फरवरी 2011 के पूर्व किसान जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता था परन्तु उसके पश्चात् किसान जाति को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। किसान नगेसिया, नगासिया जनजाति के बारे में अन्य जानकारी पूर्व पैरानुसार ही है।

भूईया जाति :

श्री डमरूधर सिदार ने भूईयां जाति के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि उनकी जाति को वर्ष 1992 तक जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता था परन्तु उसके पश्चात् धीरे–धीरे जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाना बंद कर दिया गया है क्योंकि वर्ष 1978 के अखण्डित मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में भूमिया जाति तीन बार लिखे जाने के कारण भूईया, भूईयां एवं भूयां आदि विलुप्त हो गया।

श्री सिदार द्वारा भूईयां जाति के रहन सहन, रीति–रिवाज आदि के संबंध में दी गई अन्य जानकारियां पूर्व पैरानुसार ही हैं।

आयोग के माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना ने बैठक में उपस्थित सभी आदिवासी प्रतिनिधियों से किसान जाति एवं भूईयां जाति को छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने से किसी को आपत्ति होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अनुरोध किया पर किसी भी समाज के व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

जिला प्रशासन रायगढ़ की ओर से जिला कलेक्टर श्री मुकेश बंसल ने भी उक्त दोनों जातियों को छ0ग0 राज्य में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की।

उक्त दोनों जातियों के प्रतिनिधियों से चर्चा के पश्चात् बैठक में उपस्थित पाव जाति के प्रतिनिधि श्री फागुराम पाव ने जिला प्रशासन, रायगढ़ द्वारा पाव जाति के लोगों को छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में होने पर भी जाति प्रमाण पत्र जारी नही किये जाने के बारे में शिकायत की जिस पर श्री मुकेश बंसल, जिला कलेक्टर ने इस बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को पाव जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित अन्य जातियों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी जातियों की समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि राजस्व/ सेटेलमेंट एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में मात्रात्मक/लिपिकीय त्रुटि के फलस्वरूप उनकी जातियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में आज वे पिछडे हुये हैं। बैठक में उपस्थित सभी जनजातियों के प्रतिनिधियों में एक सुर में आयोग के दल से अनुरोध किया कि सरकारी दस्तावेजों में मात्रात्मक/लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कर उनके

LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार को अनुशंसा यथाशीघ्र करें जिससे कि वे अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें । बैठक में उपस्थित विभिन्न जनजातियों के जनप्रतिनिधियों ने लिखित अभ्यावेदन आयोग के दल को प्रस्तुत किया जिसकी सूची निम्नानुसार है :

क्र.	जाति	नाम एवं पता	विषय
1	सवरा एवं धनवार	श्री राज कुमार सिदार, अध्यक्ष छ0ग0 सवरा समाज संघ, विकास खण्ड–बरमकेला, ग्राम एवं पोस्ट–बार, तह0– बरमकेला, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)	सवरा एवं धनवार जाति की जमीनों के साजिश के तहत किये जा रहे क्रय–विक्रय पर रोक लगाने बाबत।
2	सवरा	श्री उचित राम सिदार, प्रांताध्यक्ष, छ0ग0 सवरा समाज पता– विनोबा नगर, वार्ड नं–27, रायगढ़	सवरा जाति के संवैधानिक अधिकार बहाल करने बाबत।
3	पाव, पबिया, पोविया	श्री करम सिंह पबिया, अध्यक्ष सचिव, परव, पबिया, पोविया समाज, ग्राम–तड़ोला, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)	पाव, जाति के साथ पविया पोविया जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने बाबत्।
4	अगरिया / लोहार	श्री शिवनाथ राम, अगरिया, दर्रामाठा, रायगढ़ जिला–रायगढ़	अगरिया / लोहार [illegible] वर्ग को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने बाबत।
5	मिरधा (मिर्धा) किसान कोडा, कुड़इ	श्री इंदर सिंह मिज, बिजयपुर रारियादादर, जिला–रायगढ़	मिराधा (मिर्धा) किसान कोडा, कुडा जाति को प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने बाबत्।
6	सवरा	श्री टीकाराम भोय, सदस्य सवरा समाज, ग्राम–बहरडीह, पो0 लेन्धरा, तह0– बरमकेला, जिला–रायगढ़	सवरा जाति के संवैधानिक अधिकार बहाल करने बाबत।
7	उरांव धंगड़	श्री पोत्ते राम उरांव, उरांव समाज सुधार समिति 18 गढ छ0ग0., कार्यालय–बोरिया पो. बोरिया थाना–सारगांज, जिला– जांजगीर–चाँपा	छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति सूची क्रमांक [illegible] हिन्दी वर्जन में संशोधन [illegible]

/ BHERU LAL MEENA
/ Member
for Scheduled Tribes
Delhi

<u>प्रेस वार्ता कार्यक्रम :</u>

दिनांक 15.07.2013 को जिला कलेक्टर, रायगढ़ के कार्यालय में बैठक के उपरान्त [illegible] माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने प्रेस वार्ता में [illegible] आयोग के दल का छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के दौरे के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि दौरे का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के किसान जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में नगेसिया एवं नागासिया के साथ पर्यायवाची के रूप में तथा भूईया, भूईयां एवं भूयां जाति को भूमिया–भरिया के साथ पर्यायवाची के रूप में जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन से आदिवासी मामले के मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपना अभिमत देने के कम में है। [illegible] राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उक्त जातियों की स्थिति की वास्तविकता [illegible] हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से सलाह मशविरा कर सरगुजा बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर में इन जनजातियों के साथ–साथ अन्य समाजों के लोगों से सम्पर्क कर [illegible] जातियों के अनुसूचित जनजाति होने के संबंध में दावा एवं आपत्ति आमंत्रित कर इन जातियों की वास्तविकता जानने का प्रयास किया गया। आयोग का दल दिनाक 16.07.2013 को बिलासपुर जिले के दौरा करने के उपरान्त छ0ग0 राज्य के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था एवं आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिकारियों से चर्चा के उपरान्त अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर भारत सरकार को सौपेगा। माननीय सदस्य ने प्रेस वार्ता में अवगत कराया कि दौरे के दौरान छ0ग0 राज्य की उक्त दोनों जातियों के अलावा अन्य जनजातियों के प्रतिनिधियों ने आयोग के दल से मिलकर उनकी जातियों को राजस्व एवं सरकारी दस्तावेजों में मात्रात्मक/लिपिकीय त्रुटि के फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र मिलने में हो रही कठिनाईयों के बारे में भी आयोग को अवगत कराया है। आयोग [illegible] जाति प्रमाण पत्र की समस्यायों के अलावा जशपुर जिले में लोकेर [illegible] के विस्थापितों/प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याओं एवं शासन द्वारा उनके पुनर्वास [illegible] की भी समीक्षा की। पत्र वार्ता के दौरान पत्रकारों ने रायगढ़ जिले में बन रहे [illegible] परियोजना के ग्रामीण आदिवासियों के साथ पूनर्वास में भेदभाव की शिकायत आयोग से की एवं आयोग के दल से केलो जलाशय परियोजना प्रभावित ग्रामीणों से मिलकर [illegible] समस्याओं को सुनने का आग्रह करने पर माननीय सदस्य को उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुये उक्त जलाशय प्रभावित एक ग्राम का दौरा कर प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने का निर्णय लिया।

<u>ग्राम : तायन, जिला – रायगढ़ (भूईयां समाज)</u>

आयोग के दल ने दिनांक 15.07.2013 को अपरान्ह 4:00 बजे ग्राम तायन, जिला [illegible] दौरा कर भुईयां समाज के ग्रामीणों से मिलकर भूईयां समाज के रहन–सहन [illegible] शादी–विवाह जन्म–मृत्यु, किया–कर्म के साथ–साथ समाज के सामाजिक, आर्थिक [illegible] पिछड़ेपन का जायजा लेने हेतु भूईयां समाज के बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं [illegible] समुदायों के व्यक्तियों से चर्चा की। भूईयां समाज के प्रतिनिधियों ने जानकारी [illegible] कि उनका गांव जिला मुख्यालय रायगढ से केवल 20 कि0मी0 दूरी पर स्थित [illegible] भी उनके रहन–सहन में कोई भी मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। भूईयां समाज [illegible]

ERU LAL MEENA
Scheduled Tribes
India

शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2004 से पहले तक भूईयां जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता था जिसके कारण सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होते थे। परन्तु 2004 के बाद भूईयां समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के फलस्वरूप आदिवासियों को मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वे वंचित हो रहे हैं। भूईयां समाज के प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान आयोग के दल को जानकारी दी कि भूईयां समाज की जमीन बिना किसी रोक–टोक के गैर आदिवासियों का हस्तान्तरित की [illegible] विशेषकर औद्योगिक घरानों द्वारा उनकी जमीन जबरन हड़पी जा रही है। भूईयां जाति के संबंध में समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई अन्य जानकारी पूर्व पैरानुसार है।

केलो जलाशय, रायगढ़ के प्रभावितों से मिलकर छ0ग0 शासन के प्रभावितों के पूनर्वास कार्यकम की समीक्षा :

आयोग के दल ने दिनांक 15.07.2013 को सायं 6:00 बजे केलो जलाशय के अन्तर्गत प्रभावित ग्राम भैसगढ़ी, ब्लॉक-तमनार, जिला–रायगढ़ का दौरा कर विरथापित ग्रामीणों से चर्चा कर छ0ग0 शासन द्वारा चलाये जा रहे पूनर्वास कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। भैसगढ़ी [illegible] के प्रभावित श्री पीतन कुमार मालाकर ने बतलाया कि शासन द्वारा प्रभावितों को औसतन [illegible] 50 हजार से 55 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। यदि कोई परियोजना प्रभावित व्यक्ति जमीन खरीदने हेतु आस–पास के गांवों में प्रयत्न करते है उक्त राशि से जमीन नहीं मिलती है। श्री बोधराम सिदार, अध्यक्ष, कृषि संधर्ष समिति, तमगर ब्लॉक, जिला रायगढ़ (छ0ग0) ने जानकरी देते हुये कहा कि केलो जलाशय परियोजना के विस्थापितों के साथ छ0ग0 शासन दोहरा मापदण्ड अपना रहा है। 600 करोड़ रूपये की परियोजना में अधिकांश प्रभावित गरीब आदिवासी हैं। उनको प्रति एकड रूपये 80 से 81 हजार रूपये मुआवजा [illegible] राशि औसतन दी जा रही है। दूसरी ओर ग्राम दनोट, लाखा एवं भेलवा [illegible] समाज के प्रभावित हैं, उनको रूपये 9 लाख प्रति हेक्टेअर के हिसाब से मुआवजा [illegible] रहे है। ग्रामीणों ने यह भी बतलाया कि रायगढ जिले में ही औद्योगिक उपयोग [illegible] रही जमीनों पर रूपये 15 से 20 लाख रूपये प्रति एकड की दर से मुआवजा की [illegible] रही है।

ग्रामीणों ने आयोग के दल से केलो जलाशय में प्रभावित विरथापितों को अधिक [illegible] की राशि दिलाने हेतु छ0ग0 शासन को अनुशंसा करने का अनुरोध किया।

(BHERU LAL MEENA) [illegible] New Delhi

केलो जलाशय परियोजना के प्रभावितों को शासन द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे के संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारीयों से चर्चा।

आयोग के दल ने श्री आर.एल. शर्मा एवं श्री जे.एस. विरदी अनुविभागीय अधिकारी, केलो जलाशय परियोजना जलसंशाधन विभाग, छ0ग0 शासन, रायगढ़ के साथ केलो परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के संबंध में सर्किट हाउस, रायगढ़ में बैठक की। केलो परियोजना के संबंध में जानकारी देते हुये श्री विरदी ने कहा कि उक्त परियोजना में कुल 18 गांवों के लोग प्रभावित हुये हैं परन्तु उक्त जलाशय से 75 गांवों की सिंचाई किया जाना संगत होगा। मुआवजे के संबंध में जानकारी देते हुये श्री विरदी ने कहा कि जल संसाधन विभाग से छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व आपदा प्रबंध एवं पुनर्वास विभाग द्वारा निर्धारित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत् हीं मुआवजे की राशि प्रदान की है। मुआवजे के राशि के निर्धारण के संबंध में जल संसाधन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनका विभाग केवल छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन के तहत् प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि के भुगतान सुनिश्चित करता है। श्री विरदी ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने केवल तीन गांवों हेतु विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जिसके तहत् दनौत, लाखा एवं भेलवा टिकरा ग्रामों हेतु मुआवजे की राशि बढ़ायी गई है। इस कारण अब अन्य प्रभावित ग्रामीणों ने भी शासन से विशेष पैकेज का मांग करना प्रारंभ किया है।

श्री शर्मा ने आयोग के दल को जानकारी देते हुये कहा कि अभी भी केलो जलाशय परियोजना के कुछ विस्थापितों को मुआवजा दिया जाना बाकी हैं जो कि शीघ्र ही प्रदान किया जावेगा। श्री विरदी ने जानकारी देते हुये कहा कि औद्योगिक उपयोग हेतु निजी कम्पनियों के लिए ली गई जमीन की मुआवजा राशि राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। चूँकि उक्त जमीन व्यावसायिक उदेद्श्य हेतु ली जाती है अतः उसकी दर सामान्यतः अधिक होती है।

माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना ने केलो जलाशय परियोजना, जल संसाधान विभाग के अधिकारियों से जानकारी चाही कि उक्त परियोजना से कुल कितने गांव एवं परिवार प्रभावित हुये तथा उनमें से कितने परिवार आदिवासी हैं तथा अलग–अलग ग्रामों प्रति एकड़ दी गई मुआवजा राशि क्या निर्धारित थी तथा कुल कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई। इस पर संबंधित अधिकारियों ने आयोग को जानकारी आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को एक हफ्ते के भीतर भेजने का आश्वासन दिया।

बिलासपुर : दिनांक 10.07.2013

दिनांक 16.07.2013 को आयोग का दल बिलासपुर पहुंचा। आयोग के दल ने सर्किट हाउस, बिलासपुर में श्री रामसिंह ठाकुर, जिला कलेक्टर, श्री सी.एल. जायसवाल, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बिलासपुर एवं छ0ग0 राज्य के विभिन्न अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की जिसका विवरण निम्नानुसार है:

श्री सी.एल. जायसवाल, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने आयोग के दल का स्वागत किया। माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना ने सर्वप्रथम किसान नगेसिया/नागासिया एवं भूईया,

BHERU LAL MEENA / Member

भूईयां एवं भूयां जाति के संबंध में आदिवासी होने की वास्तविकता जानने हेतु बैठक में उपस्थित अन्य समाजों के आदिवासियों से अभिमत देने को कहा। किसान, नगेसिया, नागासिया समाज एवं भूईयां समाज के प्रतिनिधियों के साथ–साथ अन्य आदिवासी समाजों के प्रतिनिधियों ने एक सुर में उक्त दोनों जातियों की आदिवासी होने की पुष्टि की। बैठक में उपस्थित किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने उक्त दोनों जातियों को छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति को सूची में शामिल करने के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। किसान एवं भूईयां, भूईया, भूयां समाज के आदिवासी होने एवं बैठक में उपस्थित अन्य जातियों से भी लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुये जिसके अनुसार शासकीय रिकार्डो में मात्रात्मक त्रुटि होने के कारण उक्त दोनों जातियों को शासन से आदिवासियों को मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित अन्य जातियों के प्रतिनिधियों ने भी आयोग के दल से शिकायत करते हुये कहा कि राजस्व एवं सरकारी दस्तावेजों में दर्ज मात्रात्मक/लिपिकीय त्रुटि को आधार मानते हुये राज्य शासन ने उनकी जातियों को अनुसूचित जनजाति के लाभों से वंचित कर दिया है। बैठक में उपस्थित कई आदिवासी प्रतिनिधियो ने आयोग के दल को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उनकी समस्याओं के निकारण हेतु राज्य शासन से अनुशंसा करने का आग्रह किया। आयोग के दल को प्राप्त अभ्यावेदनों की सूची निम्नानुसार है :

कं.	जाति	अभ्यावेदक का नाम एवं पता	विषय
1	चत्री/छत्री	श्री देवेन्द्र राव सोमवार, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी समाज चांटापारा तिलक नगर, शिव हनुमान मंदिर के पास, बिलासपुर पिन–495001	चत्री/छत्री समाज को जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
2	पनिका	सूश्री–सुनिता मानिकपुरी, अधीवक्ता एवं समस्त, पनिका समाज बिलासपुर, (छ0ग0)	पनिका जनजाति में शामिल करने बाबत।
3	सवरा, संवरा, सौवरा, सहरा	श्री धनसिंह आर्मो, समाज प्रमुख, सुदन पाटा कोटा, बिलासपुर.	सवरा जाति के संवैधानिक अधिकार संरक्षण करने बाबत
4	पठारी (पथारी)	श्री डी.एस. कश्यप, संभागीय अध्यक्ष पठारी जनजाति समाज मुख्यालय, कोंडागांव (छ0ग0)	पठारी (पथारी) जनजाति के पर्यायवाची उच्चारण संबंधी भिन्नता सुधार कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सत्यापन कार्य करवाने बाबत।

BHERU LAL MEENA
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. Of India
New Delhi

5	नट (डंगचघा)	श्री गायाराम नट संभागीय अध्यक्ष छ0ग0 नट समाज, विकास सेवा, समिति ग्राम–पो0– महन्त , जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)	नट (डंगचघा) जाति की जाति संशोधन बाबत्।
6	धागंड़	सभापति, उरांव समाज, कार्यालय एवं पोस्ट–चोरिया थाना–सारा गांव, जिला–जांजगीर–चाम्पा(छ0ग 0)	छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची कमांक 33 के हिन्दी वर्जन में संशोधन बाबत्।
7	भरिया	श्री लालचंद भारिया, ग्राम–अडभार, जिला–बिलासपुर (छ0ग0) भरिया जनजाति प्रकोष्ठ महासमिति, पेण्ड्रा, गौरेला, मरवादी, जिला बिलासपुर	छ0ग0 राज्य के बिलासपुर जिले के विकासखण्ड पेण्डा, गौरेला एवं मरवाही मे निवासरत भरिया अनुसूचित जनजाति वर्ग को जाति प्रमाण पत्र तथा संवैधानिक लाभ दिलाने बाबत्।
8	महरा / माहरा / महरा (MAHRA OR MAHARA)	श्री ईश्वर सक्सेना, अध्यक्ष संयुक्त महरा (माहरा) समाज, छ0ग0, एवेन्यू–सी–21 / बी, सेक्टर–1, भिलाई–49000, जिला–दूर्ग	महरा / माहरा / महारा (MAHRA OR MAHARA) जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची (वर्तमान) में पुनः शामिल करने हेतु।
9	सर्वआदिवासी समाज	श्री यशवंत राजसिंह सर्व आदिवासी समाज सी–116, आचमन, विजेता कॉम्पलेक्स के पीछे, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, जिला कार्यालय एच. पी. गैस कोतरा रोड, रायगढ़	Regarding misinterpretation Indgement of Supreme court AIR-2001 SC-393 and violation of Article 342
10	कोड़ा	सभापति हिन्दु उरांव समाज, 18 गढ़, क्षेत्र फूलझर, उरांव समाज सुधार समिति, जिला–महासमुंद	कोड़ा जाति को उरांव करने के संबंध में।

BHERU LAL MEENA
Member
New Delhi

छत्तीसगढ़ राज्य की "किसान" जाति को नगेसिया एवं नागासिया के साथ तथा "भूईंया, भूईयां एवं भूयां" जातियों को भूमिया एवं भारिया के साथ पर्यायवाची के रूप में जोड़ने के संबंध में आयोग के दल का अभिमत :

दिनांक 10.07.2013 से 16.07.2013 तक आयोग के दल द्वारा छ0ग0 राज्य के सरगुजा बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिलो के प्रवास के दौरान जिला प्रशासन, विभिन्न आदिवासी एवं गैर आदिवासी प्रतिनिधियों किसान नगेसिया, नागासिया एवं भूईया, भूईयां एवं भूयां बस्तियों/ग्रामों में दौरा कर उक्त समुदायों, अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों एवं उक्त समुदायों के संबंध में विभिन्न ग्रन्थों, पुस्तकों, विभिन्न शोध अध्ययनों तथा आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ0ग0 शासन द्वारा कराये गये शोध प्रतिवेदन तथा Antropalogical सर्वेक्षण विभाग, जोनल कार्यालय, जगदलपुर से प्राप्त दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसान जाति वास्तव में नगेसिया एवं नागासिया का ही समानार्थी/पर्यायवाची है। स्वाधीनता के पूर्व वे दस्तावेजों में नगेसिया, नागासिया के स्थान पर किसान दर्ज होने के बाद भी राज्य शासन द्वारा किसान जाति को नगेसिया एवं नागासिया जाति का पर्यायवाची एवं समानार्थी समझकर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते रहे। इसी प्रकार भूईया, भूईयां, भूयां जाति अखण्डित मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची भूमिया एवं भरिया जाति के साथ सम्मिलित थी। 1976 की म.प्र. अनुसूचित जनजाति की सूची में भूमिया जाति तीन बार पुनरावृत्ति किये जाने के फलस्वरूप भूईया, भूईयां एवं भूयां जाति सूची से विलुप्त हो गई। तभी से भूईया, भूईयां एवं भूयां जाति को जाति प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाइयां आने लगीं। वर्ष 2004 से माननीय सर्वोच्चन्यायालय ने मिलिंद विरूद्ध महाराष्ट्र शासन के मामले में निर्णय देते हुये कहा कि जातियों के संबंध में संविधान के आदेश में जैसा लिखा गया है, उसे वैसा पढ़ा जाये। तभी से किसान एवं भूईया, भूईयां एवं भूयां जाति को जाति प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। परिणामस्वरूप उक्त जातियों को वास्तविक आदिवासी होने के बावजूद भी शासन की योजनाओं/आदिवासियों को मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः छत्तीसगढ़ शासन के दोनों प्रस्तावों जिसमें किसान जाति को नगेसिया एवं नागासिया के साथ एवं भूईया, भूईयां तथा भूयां जाति को भूमिया एवं भारिया के साथ छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने हेतु आयोग द्वारा अनुशंसा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

14/10/2013

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi